राजस्थान विधानसभा

जनलेखा समिति, वर्ष2019-20

61वां प्रतिवेदन

(पन्द्रहवीं विधानसभा)

[भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17के अनुच्छेद संख्या 3.10में समाविष्ट कौशलरोजगार एवं उद्यमिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रतिवेदन]

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक .....को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधानसभा सचिवालय,

जयपुर।

मूल्य ₹.....

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	(i)
2.	प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)वर्ष 2016-17का अनुच्छेद संख्या 3.10कौशलरोजगार एवं उद्यमिता विभाग ।	1
3.	परिशिष्ट-एक (सिफारिशों का सार)	

प्रस्तावना

1. जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20द्वारा प्राधिकृत करने पर मैं, सभापति, जनलेखा समिति,वर्ष 2019-20, समिति का **61वाँ**प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

2. इस प्रतिवेदन का संबंध भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17के अनुच्छेद संख्या 3.10में समाविष्ट कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग से संबंधित मामलों से है।

3. इस प्रतिवेदन को समिति ने दिनांक 17.02.2020को हुई बैठक में विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से अनुमोदित कर सदन में उपस्थापन हेतु अभिस्वीकृत किया।

4. समिति की सिफारिशों का सार प्रतिवेदन के परिशिष्ट-एक में दिया गया है।

5. समिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)वर्ष 2016-17के अनुच्छेद संख्या 3.10पर मौखिक साक्ष्य एवंलिखित उत्तर का गहनतम अध्ययन किया एवं पाया किकौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रमों में तेजी लाने और बेहतर समन्वय करने के लिए कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना की गई थी। आर.एस.एल.डी.सी. ने 300 निजी प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रणाली विकसित की है।तथापि विभाग 2014-17 के दौरान तीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल 48.90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सका। पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों (निर्माण, वस्त्र, स्वास्थ्य, ऑटोमैकेनिक व इंजीनियरिंग, बैंकिंग व वित्तीय सेवायें एवं आईटी आदि) में केवल 55.74 प्रतिशत प्रशिक्षण ही आयोजित किये गए थे। साथ ही आरएसएलडीसी कुल प्रशिक्षित युवाओं में से केवल 35.58 प्रतिशत नियोजन प्रदान करने में सक्षम रहा और केवल 37.45 प्रतिशत नियोजन ही वास्तविक थे। इंगित उद्देश्यों की प्राप्ति में विभाग पूर्ण रूप से विफल रहा। जिसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करते हुए प्रतिवेदन में सिफ़ारिशें की है।

6. समिति प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर और उनके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

विधानसभा भवन,
जयपुर।
दिनांक: 17.02.2020

(गुलाब चन्द कटारिया)
सभापति
जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20

प्रतिवेदन

सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.10
(पृष्ठ संख्या 197 से205)

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग

3.10 राजस्थान में रोजगार हेतु कौशल विकास

3.10.1 प्रस्तावना

राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ थी, जिसमें आठ लाख की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल श्रम शक्ति[1] 2.99 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 33 लाख बेरोजगार युवा थे।

राजस्थान की जनसंख्या में 25 वर्ष से कम की युवा आबादी 55 प्रतिशत है और इसलिए युवाओं को लगातार रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिये महत्वपूर्ण प्रमुखता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति 2015 के समग्र नीतिगत मार्गदर्शन के तहत रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर राजस्थान सरकार ने ध्यान केन्द्रित किया है।

कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रमों में तेजी लाने और बेहतर समन्वय करने के लिये कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) को प्रमुख अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। कन्वर्जेन्स पहल के तहत विभिन्न विभागों और निगमों ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये आरएसएलडीसी को निधियाँ स्थानान्तरित की। आरएसएलडीसीने 300 निजी प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों

[1]सन्दर्भित अवधि के बड़े भाग के दौरान वह व्यक्ति जो या तो कार्यरत (नियोजित) हो या तलाश में या कार्य करने हेतु उपलब्ध हो (बेरोजगार) अथवा दोनों हो।

का आयोजन करने की प्रणाली विकसित की है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये आरएसएलडीसी क्षेत्र सूचित करेंगे और प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रस्ताव लेकर आऐंगे, कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) स्थापित करेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रमोंका आयोजनकरवाएंगे।

वर्तमान में आरएसएलडीसी, तीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है (1) स्वरोजगार हेतु नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरएसटीपी), (2) युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देने हेतु रोजगारपरक/युक्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी), जहां प्रशिक्षणप्रदाता न्यूनतम प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रदान करनेहेतु उत्तरदायी है एवं (3) पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)-गरीब ग्रामीणों के कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने हेतुएक केन्द्रीय प्रायोजित योजना। इन तीनों कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 2014-17 के दौरान₹189.81 करोड़ का व्यय किया गया था।

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गयी थी कि क्या रोजगार हेतु कौशल विकास की योजनाएँ उचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। अप्रैल से अगस्त 2017 के दौरान आरएसएलडीसी के मुख्यालय सहित 33 जिला कार्यालयों में से सात[2] की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया किउपरोक्तवर्णितपैराकेक्रममेंनिगमकीओरसेकोईऔरटिप्पणीनहींहैं।पूर्वमेंप्रस्तावितड्राफ्टपैराकेसंदर्भमेंराज्यसरकारद्वारामहालेखाकारकोप्रेषितप्रत्युत्तरदिनांक10.11.2017क्रमांक2079(**प्रतिजिसका समिति ने अवलोकन किया**)कासंदर्भइसहेतुयथावतहै।

<u>समिति का अभिमत</u>

कोई टिप्पणी नहीं है।

[2]अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.10.2 लक्ष्यों को प्राप्तनहीं करना

आरएसएलडीसी ने बताया (अप्रैल 2017) कि 2014-17 के दौरान आरएसटीपी एवंईएलएसटीपी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। तथापि, यह पाया गया किकार्यक्रमोंके अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीएसईई ने लक्ष्य तय कियेहैं जिन्हें आरएसएलडीसी द्वारा अपनी वार्षिक योजना में शामिल करते हुएकार्यान्वित करने हैं। आगे, भारत सरकार ने 2014-17 के लिये डीडीयू-जीकेवाईहेतु लक्ष्य आवंटित कियेहैं। इसके अनुसार 2014-17 के दौरान लक्ष्य एवं उनकेसमक्ष उपलब्धियों की स्थिति **तालिका 1** में दी गई है।

तालिका 1

योजना	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
आरएसटीपी	26,000	14,134	54.36
ईएलएसटीपी	2,30,000	1,27,548	55.46
डीडीयू- जीकेवाई	1,00,000	32,418	32.42
कुल	3,56,000	1,74,100	48.90

स्रोतः वार्षिक योजना एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2014-17 के दौरान तीनों कौशल प्रशिक्षणकार्यक्रमों में लक्ष्यों की उपलब्धियां केवल 48.90 प्रतिशत थीं। निर्धारित किये गयेलक्ष्यों कोराष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी-2012) द्वारा किये गयेकौशल अन्तर अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये जिसमें बताया गया थाकि 2017 के अन्त तक कुल 24 लाख कुशल युवाओं की आवश्यकता होगी।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया कि इसबिंदुमेंसम्मिलितकिएगएसंदर्भगततथ्योंकोऔरअधिकस्पष्टकरनाआवश्यकहैक्योंकिप्रधानम हालेखाकारद्वाराइनतथ्योंपरजोनिष्कर्षनिकालेगएहैं, उनपरनिगमकादृष्टिकोणनिम्नानुसारहैः–

- निगमद्वाराराज्यवित्तपोषणकीयोजनारोजगारपरककौशलप्रशिक्षणकार्यक्रम/नियमितकौशल प्रशिक्षणकार्यक्रम(ELSTP/RSTP)काक्रियान्वयनकियाजाताहै।यहतथ्यपुनःस्पष्टीकरणयो ग्यहैकिनिगमद्वाराऔपचारिकरूपसेइनयोजनाओंमेंकोईलक्ष्यनिर्धारणनहींकियाजाताहै।इन योजनाओंकेक्रियान्वयनकेलिएप्रतिवर्ष, नियमितअंतरालपर 'रूचिकीअभिव्यक्ति'(EOI) जारीकीजातीहैजिसमेंइच्छुकप्रशिक्षणप्रदाताभागलेतेहैं।योजनाक्रियान्वयनमेंप्रशिक्षणप्रदाता ओंकाचयन, उनकेद्वाराकौशलविकासकेन्द्र(Skill Development Center)कीस्थापना, प्रशिक्षणप्रदाता(TP)कोस्वीकृतिआदेश(Sanction Order),प्रशिक्षणप्रदाताद्वाराIn-Principle-Approval(IPA)कीमांगपरIPAजारीकरनानिरंतरप्रक्रियाएंहै,जोकिप्रशिक्षणप्रदाताद्वाराउस कीक्षमतावभविष्यकीकार्ययोजनाकोध्यानमेंरखकरकीजातीहै।इसप्रकारप्रशिक्षणप्रदातानिजी स्वामित्वधारी(Private Player)होताहैतथाअपनेसाधनोंवक्षमतासेप्रशिक्षणप्रदानकरताहै।अतःअन्यराजकीययोजना ओंकीभांतिभौतिकलक्ष्योंकाभारनहींडालाजानासंभवभीनहींहोताहैऔरनिगमद्वाराTP'sकोप्र शिक्षणलक्ष्यजारीकरनेकेदौरानकिसीलक्ष्यकोआधारमानकरआवंटननहींहोताहै।

  राज्यसरकारद्वारानिगमकोअन्यराजकीयविभागों केलिएप्रशिक्षणप्रदानकरनेहेतुनोडलएजेंसीघोषितकियाहुआहै,इसकेलिएविभिन्नराजकीयवि भागोंसेकन्वर्जेन्सकीप्रक्रियाअन्तर्गतअनुबंध (Memorandum of Understanding)कियाजाताहैजिनमेंउनविभागोंकेमापदण्डअनुसारप्रशिक्षणप्रदानकरनाहो ताहै।यहप्रशिक्षणभीनिगमद्वाराअधिकृतनिजीप्रशिक्षणप्रदाताओंद्वारानिगमद्वारासंचालित योजनाओंELSTP/RSTPकेअन्तर्गतहीदियाजाताहै।इसकारणप्रशिक्षणप्रदाताद्वारादियेजा नेवालेप्रशिक्षणकोकिसीभीप्रकारसेलक्ष्यकेरूपमेंनहींमानाजासकताहै,नहीनिगमस्तरपरस्वीकृ तिआदेश

  (Sanction Order)हेतुकोईलक्ष्य(Target)जारीकियाजाताहैकिकितनीसंख्यातकस्वीकृतिआदेशजारीहोंगे ।इन्हेंप्रशिक्षणप्रदाताकीमाँगवक्षमताकेआधारपरदियाजाताहै।

जहाँतकप्लानिंगविभागकोप्रस्तुतआंकड़े, जिनकेआधारपरबजटकीमांगकीजातीहै, काप्रश्नहै,इसक्रममेंयहाँयहउल्लेखनीयहैकिनिगमकोवित्तविभागद्वाराBudget Estimates/Revised Budget Estimates (B.E./R.E.)कानिर्धारणप्रशिक्षणकीबजटीयराशिकेआधारपरनहोकरवर्षपर्यन्तउपयोगहोसक नेवालेरोकड़प्रवाह(Fund Flow)केआधारपरकीजारहीहै।इसआधारपरआक्षेपतालिका-6मेंनिर्धारितलक्ष्योंसेउपलब्धियोंकेप्रतिशतकाउल्लेखउपरोक्तसंदर्भमेंविवेचनाकाअन्तरमाना जासकताहै।

- जहाँतकइसीतालिका-1मेंदीनदयालउपाध्यायग्रामीणकौशल्ययोजना(DDUGKY) कीउपलब्धियोंकेप्रतिशतकाउल्लेखहै,उसमेंयहतथ्यध्यानार्थहैकिअगस्त-2017तककुल1.00लाखकेलक्ष्यकेविरूद्ध69,731प्रशिक्षणहेतुहीस्वीकृतियाँजारीहुईथी,उ समेंसे32,418काप्रशिक्षणउपरान्तउपलब्धियोंकास्वीकृतिकेविरूद्धप्रतिशतनिकालेजाने पर46.49आताहैं।इनआंकड़ोंकीविवेचनाइसीसन्दर्भमेंकिएजानेपरयथार्थस्थिति(True & Fair View)प्राप्तहोसकेगी।

- निर्धारितलक्ष्योंकोNSDC-2012केअध्ययनकेपरिप्रेक्ष्यमेंदेखनेपरवर्ष2017तक24लाखकुशलयुवाओंकीआवश्यकता होनेकेक्रममेंयहउल्लेखकरनाउपयुक्तहोगाकिकौशलविकासकार्यक्रम, श्रम, रोजगार(Labour, Employment)कीउपलब्धतासेप्रत्यक्षरूपसेजुड़ाहैजोकिबाजारमेंरोजगारकीउपलब्धता, प्रशिक्षणार्थियोंकेरोजगारहेतुMigration,प्रशिक्षणहेतुअवसरों, सेक्टर (विभिन्नक्षेत्रोंमेंप्रशिक्षण) कीउपलब्धताआदिबिन्दुओंसेनिर्धारितहोतीहैतथाप्रशिक्षणार्थियोंकारूझानभीइसीकेअनुसा रहोताहै।अतःकौशलप्रशिक्षणहेतुचलरहीविभिन्नयोजनाओंकामूल्यांकनइसपरिप्रेक्ष्यमेंकि याजानाअधिकउपयुक्तहोगा।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

(i) विभागीय कथन कि निगम द्वारा औपचारिक रूप से लक्ष्य निर्धारण नहीं किया जाना एवं आंकड़ों का विवेचन इसी सन्दर्भ में किये जाने के संबंध में लेख है कि जैसा कि

आक्षेप में वर्णित है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीएसईई ने लक्ष्य तय किये थे, अतः विभागीय कथन इस परिपेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं हो रहा। अतः आक्षेपानुसार आरएसटीपी एवं ईएलएसटीपी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीएसईई द्वारा लक्ष्य तय किये जाने के बावजूद आरएसएलडीसी द्वारा कार्यान्वित नहीं किये जाने के कारणों एवं इन लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का समावेश अंतिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

(ii) आक्षेपानुसार एवं प्रेषित क्रियान्विति के क्रम में वर्ष **2014-17** के लिए डीडीयू-जीकेवाई हेतु आवंटित लक्ष्य **1.00** लाख के समक्ष केवल **69,731** प्रशिक्षण हेतु ही स्वीकृतियां जारी हुई है जिनमें से भी केवल **32,418** प्रशिक्षण ही आयोजित किये गये। अतःइस संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुये विभागीय स्पष्टीकरण अपेक्षित है। साथ ही उपलब्धियों की तुलना लक्ष्यों के समक्ष ही प्रासंगिक है।

<u>संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम उत्तर (दिनांक 20.12.2019) में विभाग ने बताया कि</u>

(i) निगमद्वारालक्ष्यप्राप्तिहेतुयथासंभवप्रयासकियेगयेहैं, परन्तुप्रशिक्षणकारोजगारसेसंबन्धितहोनेकेकारणयहबाजारमेंरोजगारउपलब्धतावप्रशिक्षणार्थियोंकेरूझानकेकारणइससस्तरतकसीमितरहा।प्रारंभिकवर्षोंमेंकौशलविकासकेक्षेत्रमेंकार्यरतप्रशिक्षणप्रदाताओंकीसंख्याबेहदसीमितथीएवंकौशलविकासकार्यक्रमकीपहुँचकोसमस्तजिलास्तरोंतकसुनिश्चितकियाजानाआवश्यकथा, साथहीप्रारंभिकवर्षोंकेप्रशिक्षणोंकेउपरान्तप्रस्तुतरोजगारसम्बन्धितदस्तावेजोंकाजमाकियाजानाएवंउनकासत्यापनएकसततप्रक्रियाथी।

अतःनिरन्तरवर्षोंमेंप्रथमदृष्टयागैरप्रदर्शनकारी (Non-Performer) प्रशिक्षणप्रदाताओंकेअलावाशेषकोजारीरखागया।

यद्यपिआगामीवर्षोंमेंविगतवर्षोंकीप्रगतिकेआधारपरहीप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंको स्वीकृति आदेशजारीकियेगयेहैं।गतप्रत्युत्तरमेंइसकीपुष्टिकीगईहै।

वर्तमानवर्षमेंकेवलउन्हींप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकोलक्ष्यआवंटनलगातारराखागयाहैंजिन्होंने विगतवर्षोंमेंसम्पादितसमस्तप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेसमक्षनियोजनकीसूचनानिगमकोउपलब्ध करादीहोएवंवर्ष 2017-18 केलक्ष्योंकेसमक्षकमसेकम 50 प्रतिशतप्रशिक्षणकेलक्ष्यपूरेकियेहों।

यहांयहभीउल्लेखनीयहैकिकौशलविकासदेकररोजगारकेअवसरउपलब्धकरवानाएकनवीनआयामहैजिसमेंअनुभवकेआधारपरनवाचारकियेगयेहैं,

जैसेकिराष्ट्रीयस्तरपरसंचालितपीएमकेवीवाईयोजनान्तर्गतवर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 30 लाखकेआवंटितलक्ष्यकेविरुद्ध 22 लाखयुवापंजीकृतहुए, उनमेंसे 16 लाखप्रशिक्षित, 12 लाखप्रमाणितएवं 4.5 लाखकोरोजगारकेअवसरउपलब्धकराएगयेहैं।

निगमस्तरपरभीराज्यमेंकौशलविकासकार्यक्रमएवंउसकेअन्तर्गतसंचालितयोजनाओंमेंप्राप्त अनुभवोंकेआधारपरनियमितरुपसेकार्यप्रणालीएवंयोजनाकेनियमोंकोसुधारागयाहै।

(ii)

केन्द्रप्रवर्तितयोजनाडीडीयूजीकेवाईराज्यप्रवर्तितयोजनाओंकेअन्तर्गतअल्पकालिकप्रशिक्षणों सेइसकीप्रकृतिभिन्नहैतथायहतुलनात्मकरुपसेअधिकअवधिकाप्रशिक्षणकार्यक्रमहै।योजना केलक्ष्योंकेअनुरुपनियोजनकीप्राप्तिएवंसत्यापनएकसतत्एवंदीर्घप्रक्रियाहैजिसकाअन्तिमप रिणामअभीअन्तरिमअवस्थामेंहै।तथापिवर्तमानमें 1,12,350 केलक्ष्यप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकोआवंटितकियेगयेहैं।योजनामेंअबतकलक्ष्यकेसमक्ष 44,527 कोप्रशिक्षितकियाजाचुकाहैएवं 22,915 कोनियोजनसेजोड़दियागयाहै।

दिनांक 10.01.2020 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से किये गये विचार-विमर्श का शब्दश:विवरण निम्नानुसार है:-

समिति ने जानकारी चाही कि 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.10, राजस्थान में रोजगार हेतु कौशल विकास। जिस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है, आज की आवश्यकता क्या है, एक बहुत अच्छी पहल जिसे कह सकते हैं और मोटे रूप से तीन योजनाएं हैं, दो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और एक केन्द्र सरकार द्वारा योजना है। इन योजनाओं में बच्चों का चयन करके आपको स्किल डवलपमेंट का काम करना

था। इसमें राजस्थान के 33 जिलों में काम शुरू किया। काम शुरू हुआ, अच्छी बात है पर जो ऑडिट में आया और वह सातों संभागों पर ए.जी. ने ऑडिट किया है, उसमें जो कुछ कमियां पायी गयी हैं, उनके बारे में इंगित किया है। मैं समझता हूं 3.10.2 से शुरू करते हैं। पहले में तो प्रस्तावना है। आपने माना है राजस्थान में जो युवा रोजगार के लिये हैं, 3.10.2 इसमें हैं। इसलिए अपन शुरू करते हैं 3.10.2 - लक्ष्यों

को प्राप्त नहीं करना। आर.एस.एल.डी.सी. ने बताया कि 2014-2017 के दौरान आर.एस.टी.पी. एवं ई.एल.एस.टी.पी. के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। तथापि, यह पाया गया कि कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डी.एस.एस.ई. ने लक्ष्य तय किये हैं जिन्हें आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा वार्षिक योजना में शामिल करते हुए कार्यान्वित करने हैं। इसमें जो चार्ट दिया है इसमें आर.एस.टी.पी. योजना में लक्ष्य था 26 हजार का और उपलब्धियां हुईं 14,134 यानि 54.36 प्रतिशत के करीब हुईं। ई.एल.एस.टी.पी. में लक्ष्य था 2,30,000 और उपलब्धि हुई 1,27,548 यानि 55.46 प्रतिशत के करीब। डीडीयू-जीकेवाई में लक्ष्य था एक लाख का और उपलब्धि हुई 32,418 यानी 32.42 प्रतिशत। कुल मिलाकर 3,56,000 के लक्ष्य की तुलना में 1,74,100 उपलब्धियां हुई। अगर इसको प्रतिशत में देखें तो 48.90 प्रतिशत है। आप देखिये, केन्द्र की योजना के तहत एक लाख लोगों को रोजगार देना थाऔर हम 32,418 लोगों को ही रोजगार दे पाये। यह सारे मिलकर जो आपके इसमें फीगर्स आये, इसमें 48.90 प्रतिशत ही हम कवर कर पाये। राज्य सरकार की जो इच्छा थी, जो लक्ष्य निर्धारित किया, वहां तक अपन नहीं पहुंच पाये, इसके बारे में विभाग क्या सोचता है?

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि आर.एस.एल.डी.सी. का 2014-2017 तक ऑडिट हुआ, उसके आधार पर ट्रेनिंग में लक्ष्यों का 48.90 प्रतिशत अचीवमेंट हुआ। इसके बारे में निवेदन यह है कि यह बिलकुल ही नया था। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़े देखते हैं तो 33 लाख के आंकड़े बताये। अन-एम्प्लाइड की बात करें तो इसमें हर प्रकार के अन-एम्प्लाइड शामिल थे, शिक्षित एवं अल्प-शिक्षित सभी शामिल थे। इसमें जो भी अन-एम्प्लाइड रजिस्टर्ड कराता है, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह रिसर्च स्कॉलर हो, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, आई.टी.आई. पास हो, ग्रेजुएट और

पोस्ट ग्रेजुएट हो, यह सारे के सारे लोग स्किल के लिये नहीं आएंगे।यहां पर निवेदन यह है कि स्किल के अंदर कितने लोगों का बनता है, जो भी आदमी बेरोजगार होगा, हर आदमी स्किल लेने के लिये नहीं आ पाएगा। 2004 में ही हमने यह बात समझ ली थी कि हमारे यहां युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी इसलिए आर.एस.एल.डी.सी. की स्थापना की गयी। यह माना गया कि जो रोजगार के लिये है, यहां पर जो भी ट्रेनिंग पार्टनर होगा, मैं बीच में थोड़ा-सा मैकेनाइज बताना चाहूंगा।

यहां मैनेजमेंट के लिये 100 प्रतिशत लोगों को डेपुटेशन पर लगाते हैं। एक एम.डी. होता है और जी.एम., आर.ए.एस.को लगाते हैं और जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं, वह Employment linked Skill Training Programme के तहत चुने जाते हैं। उस Employment linked Skill Training Programme को ट्रेनिंग पार्टनर पूरे ध्यान से करते हैं। निगम द्वारा सूचीबद्ध किये गये प्रशिक्षण प्रदाताओं से जिलेवार, सेक्टरवार प्रशिक्षित किये जा सकने वाले युवाओं की संख्या की कार्ययोजना लेकर उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं, विगत वर्ष की परफोर्मेन्स तथा जिले एवं सेक्टर में प्रशिक्षण आवश्यकताओं, प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटन हेतु निर्धारित एस.ओ.पी. के अतिरिक्त निगम के पास योजनावार उपलब्ध बजट राशि जैसे बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा उक्त लक्ष्यों के संदर्भ में कौशल विकास केन्द्र स्थापित कर जैसे-जैसे प्रशिक्षण आयोजन की तैयारी की जाती है तदानुसार उन्हें आई.पी.ए. के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। समय-समय पर उनके द्वारा प्रशिक्षण आयोजन प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण लक्ष्यों में संशोधन किये जाते हैं ताकि वर्ष हेतु अधिकाधिक प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। उनकी क्षमताओं का इवेल्यूशन भी करते हैं। 2013-14 में आर.एस.एल.डी.सी. की स्कीम आयी। समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो नोर्मल स्किल में नहीं रह पाएंगे जैसे नारी कल्याण समितियों में रहने वाली महिलाएं।

समिति का प्रश्न था कि इसमें जो पहले शुरू की गयी, यह पहले सोचकर शुरू की गयी कि हमें भी राजस्थान में किस प्रकार से लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यहां किस प्रकार स्किल डवलप कर सकते हैं, यह ध्यान करके कि इस इस स्टेट में इन लोगों के बच्चों को करेंगे तो शायद यह उपयोगिता हो जाएगी।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि इसके लिये बहुत सारी बातों पर डिपेंड रहना पड़ता है।

समिति का प्रश्न था किउस ट्रेड पर लोगों को काम मिल सकता है, उन ट्रेड के आधार पर ही आपने कोई प्लानिंग या सर्वे किया है, आपके पास कैसे इनके आंकड़े इकट्ठे हुए?

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि 2014 में जिस समय शुरू किया तब के आंकड़े अभी मौजूद नहीं है। यह सारा अनुमान के आधार पर है।

समिति का प्रश्न था किराजस्थान में कौन-कौनसे ट्रेड ऐसे हैं जिसमें लोगों को जॉब मिल सकती है?

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि मेडिकल में है, जैम्स एण्ड ज्वैलरी में है, फैशन डिजाइन टैक्नोलॉजी है, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, मार्बल का काम है, इनमें जॉब आसानी से मिल जाती है। यह ट्रेनिंग कोर्स 3 से 4 माह की अवधि के होते हैं।

समिति का प्रश्न था कितीन-चार महीने में अगर ट्रेंड नहीं हो तो इसकी अवधि को बढ़ाने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। यह हार्ड एण्ड फास्ट है क्या? जैसे मान लो बिल्डिंग की चुनाई करनी है, अब कोई तीन महीने में कैसे परफैक्ट हो सकता है कि वह पूरी बिल्डिंग को तैयार कर दे। इसको आगे-पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता क्या, इस पर आपको विचार करना चाहिए।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि मेसनरी के कोर्स का हमारे नोर्म्स तय है। मेजर कोर्स कोई होता है, तो पर ऑवर और स्टेण्डर्ड के बेस पर उसका कोर्स बनाते हैं। सर, मैं जैम्स एण्ड ज्वैलरी का निवेदन करूं, माइनिंग का निवेदन करूं, माइनिंग का कोर्स आज तक राजस्थान में नहीं हुआ। हम 2018-2019 और 2019-2020 में चाहते थे पर माइनिंग सेफ्टी के लिये हैवी मशीन की जरूरत होती है।

समिति का प्रश्न था किआप जब कभी भी मीटिंग में बैठते हैं तो इन सुझावों के आधार पर इनको आगे बढाएं। निगम स्तर पर राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम एवं उसके अन्तर्गत संचालित योजनाओं में प्राप्त अनुभवों के आधार पर नियमित रूप से कार्य प्रणाली एवं योजना के नियमो में सुधार किया जाए। केन्द्र प्रवर्तित योजना

डीडीयूजीकेवाई, राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षणों से इसकी प्रकृति भिन्न है तथा यह तुलनात्मक रूप से अधिक अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। योजना के लक्ष्यों के अनुरूप नियोजन की प्राप्ति एवं सत्यापन एक सतत एवं दीर्घ प्रक्रिया है, जिसका अंतिम परिणाम अभी अंतरिम अवस्था में है। तथापि वर्तमान में 1,12,350 के लक्ष्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को आवंटित किये गये हैं। योजना में अब तक लक्ष्य के समक्ष 44,527 को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 32,915 को

नियोजन से जोड़ दिया गया है। अब ए.जी. का कहना है कि यह संख्या कम है। 51 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित करने के संबंध में आपने बताया है। यह संख्या कम रही, इसके क्या कारण हैं?

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि नोर्मली किसी भी डिपार्टमेंट की तरह हमें इस साल इतने बच्चों को प्रशिक्षित कराना है। मान लीजिए 100 का टार्गेट है, हालांकि इस तरह का टार्गेट निर्धारित नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कि 100 की एवज में 110 प्रतिशत, 125 प्रतिशत का टार्गेट दें। एमओयू करने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वह गांवों में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके सेंटरों को चैक किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पासवर्ड की आती है। इसमें बायोमीट्रिक लेना पड़ता है। आप रजिस्टर में बच्चों की हाजिरी नहीं कर सकते।

समिति का मत था कि बायोमीट्रिक का प्रावधान इसलिए किया गया, पहले ए.जी. को लगता था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। इनको लगा कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, फिर वहां जाकर वस्तुस्थिति देखी कि इनकी भर्ती हुई नहीं और ट्रेनिंग भी हो गयी और उसका कागज भी उसके पास है। आपने अच्छा किया है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस काम में जिस प्रकार की कमियां हैं उनको सुधारेंगे तो इसको बहुत उपयोगी चीज बना सकते हैं।

इसमें जिसकी भी सोच है बहुत अच्छी सोच है। हमारे यहां क्या है कि आदमी इसके रास्ते निकालता है, उन रास्तों को कैसे रोकें ताकि ट्रेनिंग भी परफैक्ट हो और ईमानदारी से धरातल पर आये। ऑडिट तो जहां भी जायेगा तो उसमें से बाल की खाल निकाल लाता है, तो उन्होंने वो कागज भी पकड़ लिये, एक कोई बच्ची है, ट्रेनिंग के लिए सलेक्शन वाला कागज भी लगा हुआ है और ट्रेनिंग पूरी होकर नौकरी

लग गयी, उसका कागज भी उसी के साथ लगा हुआ है। यह एक ही कागज में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसने ज्वाइन किया और उसकी ट्रेनिंग हो गई।

अब यह जो कमियां हैं, जो लोग गलत तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनको तो चैक करना है और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना है ताकि हमारी जो समस्या है वह हल हो। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इसको बंद करो, हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें जहां-जहां लैकूना है इन लैकूनाज को ठीक करें ताकि उसमें से रिजल्ट आये।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सर, जो बायोमैट्रिक की बात है, बायोमैट्रिक का भी धोखा शुरू हो गया है, अभी राजस्थान में एक टैक्नोलोजी और आ गई है, यह मेरे हाथ में हैं, सर, इसको क्लोन बोला जाता है, मेरे अंगूठे का क्लोन बन जाता है।

समिति का मत था कि इतना चतुर है, यह काम करना तो आदमी को आता है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, क्योंकि सुधार करना मकसद है।ए.जी. के पैराज बिलकुल बढ़िया हैं, मैं यहां यह एक्सैप्ट करता हूं कि ए.जी. ने हमारी परफोर्मेंस ऑडिट बहुत बढ़िया किया है और उससे हमारी संस्था को सीखना चाहिए। सर, फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 का अगर मुझे अलग से मौका मिले तो मैं बताना चाहता हूं कि उन तमाम पैराज के अन्दर जो सजेशन दिये, सर, उदाहरण के लिए आपने कहा कि बायोमैट्रिक जरूरी है, हमने तो यह तक फाइंड आउट किया कि केवल यह जरूरी नहीं है, अब राजस्थान में एक जनवरी 2020 के बाद अगर कोई ट्रेनिंग करने आता है, फेस रिकोग्निशन कैमरा कम्पलसरी कर दिया गया है। हम अगले स्तर पर चले गये हैं। सर, उसमें क्या होता है जिन 20 बच्चों को एडमिशन दिया है उन 20 बच्चों को ही उस क्लॉस में बैठना है कि इन बच्चों को कैमरा आईडेंटिफाई करके भेज रहा है कि यह बच्चा कौन है, यह हमारा है या नहीं है।

समिति का प्रश्न था कि अपन हमेशा समस्या का कुछ न कुछ ढूंढ़ते रहते हैं, वो भी कलाकार है,कुछ न कुछ नया ढूंढ़ता रहता है। इन सारी समस्याओं का हल है कि आपकी सुपरविजन टीम समय-समय पर जाकर उस संस्था को अगर स्वयं चैक करे,

ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, जरूरी नहीं है कि वो सब आपके द्वारा नियुक्त किये हुए सर्वेंट हों, जो भी एजेंसी उस एरिया में काम कर रही हैउसमें से किसी भी एजेंसी के किसी एक व्यक्ति को भी यह जिम्मेदारी देकर के समय-समय पर उसकी चैकिंग

शुरू करें कि वास्तव में क्लॉस रूम हैं कि नहीं हैं, बच्चे आते हैं या नहीं आते। इस तरह से देख करके रिपोर्ट पेश करे और जो संस्थाएं बिलकुल इसके बाहर काम कर रही हैं उनको तुरन्त रिजैक्ट करें। जो ट्रेनिंग को केवल कमाने का आधार बना ले, जिनका उद्देश्य ट्रेनिंग कराना नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि बच्चों के नाम से जो सरकारी पैसा आ रहा है वह पैसा हम कैसे उपयोग करें। ऐसे कुछ कलाकार होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ही ऐसे हो गये, ऐसा नहीं है।

यह जो आपका चार्ट है इस बारे में यह बता रहा है कि इसमें यहां लैकूना है, यहां लैकूना है, इसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर अपने को ध्यान केंद्रित करना है।

आयुक्त ने उत्तर में बताया कि कुछ माह पूर्व विभाग मेंज्वाइन किया है। आप यह जो काम बता रहे हैं, यह बात बिलकुल सही है, फील्ड में यह स्थिति है। बहुत ही पवित्र, पावन उद्देश्य से सरकार की योजनाएं बनी हैं। इससे जो हमारा रूरल यूथ है और अर्बन में भी जो अनएम्प्लायड यूथ है, उनको ट्रेंड करके औरवो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग में प्रावधान हैं।

सर, इसमें दो-तीन चीजें की हैं। सर, क्या होता है जैसे ही सरकार की योजना आती है तो बहुत सारे इस प्रकार के लोग इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं जिनका उद्देश्य ट्रेनिंग देना नहीं है, पैसा बनाना और सरकार के पैसे से अपनी जेब भरना है। इस तरह के लोग भी आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चुनौतीपूर्ण है।

दूसरा, जो हमने इंस्पैक्शन कराया, सर, हमने ट्रेनिंग सेन्टर की जांच की, टीम बना कर चांज की, एक विशेष विजिलेंस सैल भी हमने गठित की है जिसमें रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो यह सब पकड़ कर लाये जो अभी आपको दिखवा रहे हैं। यह देखें आप, सर, बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम का तोड़ उन्होंने इस तरह से निकाला है कि कोई बच्चा है उसका अंगूठा इस पर ले लेते हैं।

समिति का मत था कि और उसको लगा देते हैं।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पर अंगूठे के निशान नजर आयेंगे। सर, यह जो सिलिकोनहैइस पर बच्चे के अंगूठे के निशान ले

लेते हैं, जब इसको बायोमैट्रिक मशीन पर रख देते हैं तो उस बच्चे की बायोमैट्रिक हाज़िरी हो जाती है। हमने यह निर्णय ले लिया है इन सभी प्रकरणों में हम एफ.आई.आर. दर्ज करा रहे हैं। साथ में जैसा सर बता रहे थे कि उसका फेस कैप्चर भी होगा।

दूसरा, आप चाहें तो आप मेरे मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। अभी जो दिसम्बर से नये सेन्टर शुरू हुए हैं, सभी में आईपी कैमरा लगे हैं, जहां-जहां क्लासेज चल रही हैं उन क्लासेज में जो बच्चे हैं वो आप बैठे हुए देख सकते हैं।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, इसका काफी विरोध हुआ, हमें तीन महीने काफी विरोध का सामना करना पड़ा।

समिति का मत था कि विरोध तो हर अच्छे काम का होता है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि सर, आप अनुमति दें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, जो सेन्टर दिसम्बर के बाद अनुमति ले रहे हैं उनमें कम्पलसरी है, उसके बिना सेन्टर को एप्रूव ही नहीं करते हैं। पहले हम यह जांच करा लेते हैं कि कैमरा वर्किंग हो गये हैं या नहीं। सर, कल्चर डवलप हो जायेगा।

समिति का प्रश्न था कि हमारे यहां पेमेंट में डिले रहता है इसके कारण से जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। जिनको काम नहीं करना है और केवल पैसे लेना हैतो दस महीने बाद दे दो, लेकिन जो वास्तव में काम कर रहा है अगर उसको समय पर पेमेंट नहीं मिलता है तो वो अच्छी संस्था हिल जाती हैं, टिकती नहीं हैं।

स्कीम बहुत अच्छी है, इस स्कीम में जहां-जहां लैकूना है जो आपको ए.जी. ने आइडेंटिफाई किया है वहां सुधारने की ओर आप अपने कदम बढ़ाइये। क्योंकि सारी प्रक्रिया में जो भी हमने देखा, आपके पास तय हो गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, आगे पैरा में आ रहा है, केवल 70 संस्थाएं ऐसी हैं जिनको आपने बाहर

कियाजबकि आपके ध्यान में पूरा फिगर आ गया।वह आगे पैरे में है, जब आयेगा तब बतायेंगे।

मैं यह कह रहा हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है इससे आगे चल कर बहुत कुछ एम्प्लोयमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन इसमें जहां-जहां कमियां हैं और इसको व्यावसायिक रूप में लेकर के जिन संस्थाओं ने काम करना शुरू किया हैउनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करेंगे तब कहीं जाकर के कंट्रोल होगा।

समिति का अभिमत

समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार आरएसटीपी एवं ईएलएसटीपी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीएसईई द्वारा लक्ष्य तय किये जाने के बावजूद आरएसएलडीसी द्वारा कार्यान्वित नहीं किये जाने के औचित्य/कारणों एवं इन लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्राप्त परिणामों की अद्यतन प्रगति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार वर्ष 2014-17 के लिए डीडीयू-जीकेवाई हेतु आवंटित लक्ष्य 1.00 लाख के समक्ष केवल 69,731 प्रशिक्षण हेतु ही स्वीकृतियां जारी हुई है जिनमें से केवल 32,418प्रशिक्षण ही आयोजित किये जाने के औचित्य/कारणों एवं आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि निगम स्तर पर राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में प्राप्त अनुभवों के आधार पर नियमित रूप से कार्यप्रणाली एवं योजना में सुधार किए जाने की कार्यवाही कर, प्राप्त अनुभवों एवं सुधार की कार्यवाही के विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना अंतर्गत1,12,350 को प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रदान करने की निर्धारित अवधि एवं इसके

समक्ष प्राप्ति व नियोजन की अद्यतन स्थिति तथासाथ ही 70 प्रतिशत नियोजन प्रदान करने के प्रावधान के समक्ष केवल 51.46 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित करने के संबंध में निगम द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदाताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही के पूर्ण विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

3.10.3 प्रमुख क्षेत्रों केलिये अपर्याप्त जोर देना

इकरा[3] प्रबन्धन सलाहकार सेवा लिमिटेड (आईएमएसीएस) और एनएसडीसी केकौशलअन्तर अध्ययन की रिपोर्ट में राजस्थान के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों[4] कीपहचान कीगई, जिसके अनुसार मानव संसाधन को कुशल करने की आवश्यकताबताई गई।

विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिये गये कुल प्रशिक्षणों, आरएसएलडीसी द्वारा प्रमुखक्षेत्रोंमें दिये गये प्रशिक्षणों एवं उनका तुलनात्मक विवरण तालिका 2 में दिया गयाहै।

तालिका-2

कौशलकार्यक्रम	**कुल प्रशिक्षित**	**प्रमुख क्षेत्रों में कुलप्रशिक्षण**	**प्रमुख क्षेत्रों में दिये गये प्रशिक्षणका प्रतिशत**
आरएसटीपी	14,134	2,005	14.19
ईएलएसटीपी	1,27,548	71,152	55.78
डीडीयू-जीकेवाई	32,418	23,881	73.67
कुल	1,74,100	97,038	55.74

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

[3]श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से इन्वेस्टमेंट इन्फोर्मेशन एवं क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी (आईसीआरए) ने राजस्थान के मानव संसाधन एवं कौशल की मैपिंग में सहायता के लिए अध्ययन किया।

[4] निर्माण, टैक्सटाईल, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमैकेनिक एवं इंजिनियरिंग, पर्यटन एवं सत्कार, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण, खान एवं खनिज, जेम्स एवं ज्वैलरी, बैंकिग व वित्तीय सेवाऐं, खुदरा एवं आईटी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आरएसटीपी के अन्तर्गत केवल 14.19प्रतिशत और ईएलएसटीपी के लिये 55.78 प्रतिशत प्रशिक्षण ही प्रमुख क्षेत्रों में दियेगये। इसकेअलावा, डीडीयू-जीकेवाई के तहत 73.67 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रमुख क्षेत्रोंमें आयोजित किये गये थे। डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत प्रमुख क्षेत्रों में ज्यादाप्रशिक्षण, योजना के दिशा-निर्देशों में प्रशिक्षित युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगारसुनिश्चित करने की कठोर शर्त रखने के कारण था। यह इंगित करता है किआरएसएलडीसी ने अपने दो मुख्य कौशल विकास कार्यक्रमों यथा ईएलएसटीपी एवंआरएसटीपी में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया।

इस प्रकार, कौशल अन्तर अध्ययन द्वारा पहचान किये गये प्रमुख क्षेत्रों पर पर्याप्तजोर नहीं देना, ईएलएसटीपी और आरएसटीपी के तहत कौशल प्रशिक्षणके उपरान्तनियोजन की कम उपलब्धता का एक कारण रहा।

राजस्थान सरकार ने बताया (नवम्बर 2017) कि एनएसडीसी एवं आईएमएसीएस केक्रमशः 2013 और 2014 में प्रकाशित हुये कौशल अन्तर अध्ययन केवल सांकेतिकरूप से उत्तम थे, एवं व्यापक नहीं थे तथा प्रत्येक क्षेत्र हेतु रोजगार का श्रेष्ठनिर्णय प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किया जा सकता है जो कि प्रशिक्षण देने के लियेजिम्मेदार है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनएसडीसी और आईएमएसीएस के अध्ययन में 2015एवं 2017 तक की कौशल अंतर की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है जोकि विशिष्ट मानदंडों पर आधारित है जबकि एनएसडीसी द्वारा कौशल अंतर कीपहचान हेतु आगे कोई पृथक सर्वे/अध्ययन/विश्लेषण नहीं किया गया। आगे कौशलअंतर रोजगार को केवल प्रशिक्षण प्रदाता के भरोसे छोड़ने को भी इन तथ्यों के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण प्रदाता भी न्यूनतम नियोजनप्रदत्त करने में असमर्थ थे जैसाजैसाकि अनुच्छेद 3.10.5 में उल्लेख किया गया है।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया किइस विषय पर प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा के प्रत्युत्तर दिनांक 10.11.2017 **(अनुलग्नक जिसका समिति ने अवलोकन किया**) के बिंदु 3.2.2 में निगम द्वारा विस्तृत पक्ष रखा गया है। इसे संदर्भित करते हुए निरन्तरता में टिप्पणी है कि **'इकरा'** व **'एनएसडीसी'** द्वारा किए गए कौशल

अन्तर अध्ययन रिपोर्ट में राजस्थान हेतु चिन्हित किए गए 12 प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम की जाकर उसमें प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराया है।

इस पैरा में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि NSDC और IMACS की कौशल अन्तर की रिपोर्ट में प्रमुख क्षेत्रों पर पर्याप्त जोर नहीं दिए जाने व इसे केवल प्रशिक्षण प्रदाताओं के भरोसे पर छोड़े जाने से ELSTP/RSTP में कौशल प्रशिक्षण उपरान्त न्यूनतम नियोजन प्रदत्त करने में असमर्थ रहा है। यह निष्कर्ष अक्टूबर-2018 के नियोजन के निम्नानुसार अद्यतन आँकड़ों के उपरान्त अनुपालित हो गया है:-

तालिका

योजना का नाम (2014-18)	**उपलब्ध करायी गयी सूचना**	**प्रशिक्षित युवाओं की संख्या**	**न्यूनतम रोजगार जो दिया जाना था**	**उपलब्ध कराये गये नियोजन की संख्या**	**न्यूनतम आवश्यकता का प्रतिशत (5/4*100)**	**कुलप्रशिक्षित का प्रतिशत (5/3*100)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
ईएलएसटीपी	अगस्त 2017	1,27,817	63,908	42,758	66.91	33.45
	नवम्बर 2017	1,27,548	63,774	53,525	83.93	41.96
	अक्टूबर 2018	1,25,736	62,853	63,804	101.51	50.74
आरएसटीपी	अगस्त 2017	15,555	7,777	2,807	36.09	18.05
	नवम्बर2017	14,134	7,067	6,619	93.66	46.83
	अक्टूबर 2018	14,134	7,067	7,289	103.14	51.57
डीडीयू-जीकेवाई	अगस्त	32,418	22,692	16,979	74.82	52.38

	2017					
	नवम्बर2017	32,418	22,692	18,087	79.71	55.79
	अक्टूबर 2018	32,418	22,692	21,967	96.80	67.76
कुल	**अगस्त 2017**	**1,75,790**	**94,377**	**62,544**	**66.27**	**35.58**
	नवम्बर 2017	**1,74,100**	**93,533**	**78,231**	**83.64**	**44.93**
	अक्टूबर 2018	**1,72,288**	**92,612**	**93,060**	**100.48**	**54.01**

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

(i) आक्षेपानुसारतथ्ययहहैकिआईएमएसीएसऔरएनएसडीसीकेकौशलअन्तर अध्ययनकीरिपोर्टजोकिविशिष्टमानदंडोपरआधारितहै, मेंराजस्थानकेलिएप्रमुख क्षेत्रोंकीपहचानकियेजानेकेबावजूदभीप्रशिक्षणकार्यक्रमोंमेंअमलमेंनहींलायेजानेसेनियोजनकीउपलब्धताप्रभावितहुई।इससंबंधमेंविभागीयस्पष्टीकरणअपेक्षितहै।

(ii) आक्षेपानुसारआरएसटीपीएवंईएलएसटीपीकार्यक्रमोंमेंप्रमुखक्षेत्रोंमेंआयोजित प्रशिक्षणअत्यधिककमरहनेकेकारणोंकासमावेशअंतिमक्रियान्वितिमेंअपेक्षितहै।

(iii) प्रेषितउत्तरमेंदर्शाएगयेअक्टूबर-2018केनियोजनकेआंकड़ोंकेसमर्थनमेंप्रमाणों कासमावेशअंतिमक्रियान्वितिमेंअपेक्षितहै।

<u>संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम उत्तर (दिनांक 20.12.2019) में विभाग ने बताया कि</u>

(i) कौशलअन्तरअध्ययनरिपोर्टमेंकुल 12 प्रमुखक्षेत्रचिन्हितकियेगयेथे, इनमेंसे 5 क्षेत्रोंमेंनिगमपूर्वसेहीअच्छेपरिणामदेरहाथा, शेष 07 क्षेत्रोंमें

रिपोर्टकेअनुसाररुचिकीअभिव्यक्तिजारीकरकार्यकियागयाहै।अतःनियोजनकीउपलब्धता केपरिणामउक्तसभी 12 प्रमुखक्षेत्रोंकेसमावेशीहैं।

हालांकियहांयहभीउल्लेखनीयहैकिराजस्थानमेंवर्ष 2015 तकरोजगारकेअवसर (Mapping of human resources & Skills for Rajasthan-2015) रिपोर्टरोजगारविभागद्वारा RSLDC (तत्कालीनRMoL) केसहयोगसेहीतैयारकरवाईगईथी। iMaCS कीउक्तरिपोर्ट "District wise Skill Gap Study for the State of Rajasthan" वर्ष 2008 मेंतैयारकीगईथी।NSDCकीरिपोर्टवर्ष2013,
मुख्यतःiMaCSकीरिपोर्टपरहीआधारितहैबाजारमेंउपलब्धअवसरोंकेआधारपरप्रशिक्षणप्रदाताओंएवंप्रशिक्षणार्थियोंकीरूचियोंमेंभीनिरंतरपरिवर्तनहोतारहताहै।अतःउक्तरिपोर्टकेमापदण्डानुसारकोर्ससंचालनकेउपरांतभीनियोजनकीउपलब्धताप्रभावितहोतीहै।तथापिसमय-समयपररोजगारमेला,
ग्रामसभाओंवव्यक्तिगतप्रयाससेरोजगारअवसरोमेंवृद्धिकेप्रयासनिरंतरकियेजातेहै।

(ii) इसविभागकेपूर्वप्रत्युत्तरमें
विस्तृतविवरणदियाजाचुकाहै।यहांउल्लेखनीयहैकिनिगमद्वाराअपनीकौशलविकासयोजनाएंराजकीयसंसाधनोंकेविपरीतनिजीप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंद्वारासंचालितकीजातीहैं,इसकारणउनकेद्वाराउसक्षेत्रकाचयनबाजारमेंरोजगारकीउपलब्धताकेआधारपरकियाजाता है।यद्यपिनिगमद्वाराइसआक्षेपमेंवर्णितयोजनाओंमेंनिर्धारितन्यूनतमरोजगारप्राप्तकियाजाचुकाहैजिसकीसूचनातालिकामेंविवेचितहै।

(iii) योजनाकीनिर्देशिकाअनुसारनियोजनकाअंतिमप्रमाण 13B व I.D. Proof संबंधितप्रशिक्षणप्रदातानुसारबैचवारपत्रावलीकेसाथसंलग्नहै(**प्रति संख्या सार पुष्टि गाइड पार्ट-3जिसका समिति ने अवलोकन किया)।**

दिनांक 10.01.2020 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से किये गये विचार-विमर्श का शब्दश:विवरण निम्नानुसार है:-

समिति ने अनुच्छेद संख्या 3.10.3 केसंबंध में जानकारी चाही कि अब जैसे आपकी तालिका का सेकण्ड चार्ट है, इसमें आपने लिखा, पहले वाली तालिका को

इन्होंने दिखाया था कि आरएसटीपी में फिगर दिया था 14,134 लोगों को प्रशिक्षित किया, इसमें प्रमुख क्षेत्रों में कुल प्रशिक्षण हुआ केवल 2,005 का, यह केवल 14.19 परसेंट है। प्रमुख का मतलब कि जो स्कीम आपने तय की हैंउन स्कीमों में नहीं करा करके कहीं भी भर्ती करके और वो 14 हजार लोगों का पैसा लेने का काम कर दिया जबकि वास्तव में जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो मात्र 2005 हुई। पैसे तो उन्होंने 14 हजार के दिये हैं। यह जो पहला चार्ट है उसमें है कि इतने लोगों को हम ट्रेनिंग करायेंगे लेकिन उसके अगेंस्ट में उतनी ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं। जो आपका लक्ष्य है 26 हजार का, 26 हजार के अगेंस्ट में 14,134 को करा पाये। उन 14,134 में से भी वास्तव में ट्रेनिंग हुई 2,005 की हुई, तो उसका भी 14.19 परसेंट हुआ। इसी तरह से ईएलएसटीपी हैइसमें 1,27,548 को ट्रेनिंग दी, उसमें से भी केवल 71,152 का हुआ, यह 55.78 परसेंट हुआ। यह जो डीडीयू-जीकेवाई है इसमें 32,418 में से जरूर 23,881 यानी 73.67 परसेंट आंकड़ा आता है। इसका मतलब जिस ट्रेड में इनको ट्रेनिंग करानी है, जिसके लिए उपयोगी समझते हों उसमें उसका परसेंटेज बहुत ही कम आता है।

आयुक्त ने उत्तर में बताया कि सर, आप अनुमति दें तो मैं बताना चाहता हूं। इसमें जो तत्कालीन 2014 से 2017 के बीच में जो नोन-परफोर्मर्स थे, इसमें हमको थोड़ा-सा समझना होगा कि जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वह सरकार के अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं, हम उनको ईओआई आमंत्रित करके एम्पैनल करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। अगर उनकी परफोर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उनको नोन-परफोर्मर मानते हुए आगे काम देना बंद कर देते हैं।

समिति का प्रश्न था कि क्या होता है कि यह जितने भी ट्रेनिंग सेन्टर हैंआप इनको जो पैसा देते हैंवो जॉब पर देते हैं और उसमें कम से कम 50 परसेंटको जॉब मिलना चाहिए।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, 70 हो गया।

समिति का प्रश्न था कि अब 70 कर दिया, इसमें जो आया है वह 50 परसेंट है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि हां, उस समय 50 परसेंट था।

समिति का मत था कि उस समय 50 परसेंट थाअब आपने उसको बढ़ाया। यह जो परसेंटेज है इसकी पूर्ति देखिये, वो ऐसे काम बताता है जिसमें उसको आसानी से जॉब मिल जाता है। जैसे सिक्योरिटी गार्डहै, अब सिक्योरिटी गार्ड में कहीं भी लग गया, टेलीफोन पर पता कर लेते हैं कि वो जॉब पर लग गया, वो कहता है लग गया। अब इन्होंने जो सर्वे किया, जो आपने टेलीफोन नम्बर दिये तो 113 में से केवल 15 आदमी मिले जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह जो कमियां हैं इनको सुधारने के लिए कोई तैयारी है, कठोरता ही इसकी एकमात्र तैयारी है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, पहले ईएलएसटीपी स्कीम में टेली मैचिंग करते थे कि जो हमें कागज देता था, उसके मोबाइल पर फोन करते थे और वहां से आता था कि हां, मैं इस कम्पनी में काम कर रहा हूंऔर इस बेस पर उनको पेमेंट कर दिया जाता था। सर, वह खत्म कर दिया गया है, टेली को खत्म कर दियागया है।रेंडम वैरिफिकेशन का प्रिंसिपल आया है। सर, हमें लगा कि इन सभी प्लेसमेंट की अचानक जांच करनी चाहिए।मैंने और समित ने एक दिन डिसाइड किया, टीमें बनाकर कर प्लेसमेंट की एक्चूअल जांच की। हमें उस समय जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं बिलकुल सिमिलर मिले। हमने यह देखा कि जिनके द्वारा डॉकुमेंट दिये जाते हैं वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर तीन महीने का रोजगार देने के लिए एक कम्पनी क्रिएट कर लेते हैं, वह चेंज हो गया है। सर, मैं क्या करता हूं एक कम्पनी बना लेता हूं, उन बच्चों को पांच हजार, तीन हजार का चैक काट देता हूं, बाद में उनसे कैश लेता हूं कि नहीं लेता हूं, यह पता नहीं है, बट आई डाउट, सर, कि वो कैश में वापस भी लेते होंगे। सर, हमें यह करना पड़ेगा कि हमने कहीं न कहीं अब उसकी गाईड लाईन चेंज की है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, उसमें क्या-क्या चीजें हैं, उदाहरण के लिए उसका पी.एफ.याई.एस.आई. से सम्बन्धित है।

क्योंकि कोई भी कंपनी पीएफ और ईएसआई की तरफ नहीं जाएगी, कैजुवल कंपनी तो यह भी करेगी कि 3 महीने में क्या पीएफ काटेंगे। जिन कंपनियों में हमने ऐसा देखा है, उन कंपनियों को हमने ब्लैक लिस्ट करके आगे अलोकेशन नहीं दिया है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर इस तरह एकदम टाइट करेंगे तो लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि कंपनियां भाग जाएंगी। यह शुरूआती फेज है तो इस तरह

की कठिनाइयां आती है। सारी योजनाओं में चाहे वह बीपीएल की हो, राशन कार्ड की हो, आदि सभी योजनाओं में लोग इस तरह की गड़बड़ी करने की प्रारंभ में ट्राई करते हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कि इनमें सुधार हों। अब तो बायोमैट्रिक्स के साथ ही फेस कैप्चर के लिए कैमरे भी लगा दिए हैं। लेकिन इस तरह से सख्ती करने से एक नया पैरा हो जाएगा कि 2019-20 में लक्ष्यों की प्राप्ति कम हो गई है।

समिति का मत था कि वह कोई इतना कठिन नहीं है। इसका जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोग इस तरह से फर्जीवाड़े कर रहे हैं उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि इस संबंध में काफी कदम उठाए गए हैं। हमने बॉयोमैट्रिक के साथ-साथ फेस कैप्चर कैमरे भी लगाए हैं। सभी सेंटर्स को वाट्सअप के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से हम ट्रेनिंग सेंटर्स को भी वाच कर सकते हैं। इस संबंध में निवेदन है कि बच्चों के प्लेसमेंट के बारे में हमने एक टीम बनाई और उसका फिजिकल वैरीफिकेशन किया तो हमें पता चला कि कई कंपनियां तो उस नाम की ही नहीं थी, जो कि बताई गई थी। कई कंपनियों ने कहा कि हमारे यहां आया था, लेकिन 4-5 दिन ही रहा। इस तरह की जानकारी मिली। कंपनियों ने कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अब हमने यह कर दिया है कि पहले कैंडीडेट का प्लेसमेंट के बाद फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं होता था, अब हमने कर दिया है कि वह अपना आई.डी. कार्ड देगा, 3 मंथ की सेलेरी स्लिप देगा, पैसे का बैंक में ट्रांजेक्शन बताएगा। स्वयं का फोटो कंपनी के ऑफिस से, वहीं से फोटो सैंड करेगा। तभी जाकर के हम उसको मानेंगे।

समिति का मत था कि पीएफ और ईएसआई को भी इसमें शामिल कर लें।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया किआपनेजो कहा है कि वह सही है। लेकिन इसमें व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। इस पर चर्चा अभी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसमें पीएफ और ईएसआई का भी करें लेकिन हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स कह रहे हैं कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर ने पीएफ और ईएसआई में देरी की तो हमारा पैसा तो नहीं मिलेगा प्लेसमेंट होने के बाद भी। मैंने कॉरपोरेट के लोगों को बुलाया है। इस संबंध

में 15-16 जनवरी को बैठक करेंगे। उनसे कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक इस पर पालना हो पाए। ट्रेनिंग के टार्गेट के बाद प्लेसमेंट के टार्गेट अचीव करने में और दिक्कत आ सकती हैं।

समिति का मत था कि एक माइनिंग सेफ्टी में भी हम मैट का कोर्स करा सकते हैं। राजस्थान में इसका बहुत स्कोप है। इसमें अभी हो क्या रहा है कि माइनिंग विभाग वालों ने इसको जरूरी कर दिया कि अगर किसी के पास भी माइन्स हैं तो वहां मैट का होना आवश्यक है। मैट की सेलेरी भी 12-14 हजार होती है। आज मैट के सर्टिफिकेट बिहार से लाकर के लोग इसमें लग जाते हैं। यह राजस्थान में है ही नहीं। यह 4-5 साल से धंधा ही बन गया है। बिहार से सारे फर्जी सर्टिफिकेट लाकर के दे देते हैं। एजेंटों को पैसा देते हैं और वह लाकर के दे देते हैं। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक-एक मैट 10-10 जगह खानों पर काम करता दिख जाएगा। अगर आप इसमें काम करें तो लोगों को रोजगार मिल सकता है।

समिति का प्रश्न था कि जो सेक्टर स्किल कौंसिल के कोर्स हैं उसमें देखते हैं कि मैट का कोर्स है क्या? अगर हुआ तो ठीक है ही, नहीं तो हम अपनी आईटीआईज के माध्यम से भी करा सकते हैं।

समिति का मत था कि माइन्स सेफ्टी का ऑफिस अजमेर में ही है। उनसे सम्पर्क कर लें। मेरी बात हुई थी तो वह कह रहे हैं कि अगर 3 महीने का कोर्स करा दें तो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। आप भी बात कर लें।

यह ट्रेड भी जोड़सकते हैं।

20 हजार लोग ऐसे होंगे जो फर्जी तरीकों से पैसा उठा रहे हैं।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि अप्रैल के बाद में 5 हजार बच्चों के लिए माइनिंग में ले लेंगे। अगर स्किल डवलपमेंट में यह संभव नहीं हुआ तो आईटीआई भी हमारे पास ही है। आईटीआई में हम 3 महीने का कोर्स तो जरुर करा देंगे। यह 20-25 हैं, इसमें जरूर करने की कोशिश करेंगे।

समिति का प्रश्न था कि एक जो आपने बताया कि 70 परसेंट जॉब के बारे में, अब आप कदम उठा रहे हैं, इसके बाद में यह 70 परसेंट जॉब वाले बचेंगे?

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि नहीं बचेंगे। लेकिन यह ऑप्शन हमारे पास नहीं है।

समिति का मत था कि आप जैसे-जैसे टार्गेट व्यावहारिक सीमा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर फर्जीवाड़ा बढ़ता है। आप जो 50 पर था, उसी पर रहें। एक बार 50 तो सही तरीके से अचीव कर लें उसके बाद ही 70 पर जाना चाहिए।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि2 जो आरएसटीपी की हैं।

समिति का प्रश्न था कि2 जो स्टेट की हैं उसमें तो टार्गेट आप ही तय करते हैं। अब तक तो 50 पर्सेंट था। स्टेट की 2 स्कीम्स हैं उनमें। केन्द्र की में तो पहले से ही 70 परसेंट है दीनदयाल योजना में। पहले से ही 70 परसेंट है। आप इसको 70 परसेंट तक क्यों बढ़ाते हैं? अगर ज्यादा कठोरता करेंगे तो फिर यह सारे इंस्टीट्यूट भाग जाएंगे। कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो खाली पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। लेकिन इसके साथ ही अच्छी संस्थाओं को आप पूरा सपोर्ट करें। अगर 5-10 हजार जो छात्र आते हैं उनको तो हम ठीक तरह से ट्रेंड करके नौकरी करा पाएं।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि जो पेमेंट का पैटर्न है, इसमें यह है कि पहले ट्रेनिंग, फिर असेसमेंट और उसके बाद प्लेसमेंट है। किसी संस्थान में एनरोल स्टूडेंट्स में से अगर 50 परसेंट का प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग का मिल जाएगा, असेसमेंट का पूरा पैसा मिल जाएगा और प्लेसमेंट का जो पैसा उसको मिलता, उसमें से 50 परसेंट मिल जाएगा। अब हमने ईएलएसटीपी में सीएनएन अडॉप्ट कर लिया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे यहां से जो स्किल्ड पर्सन है उसको दूसरी जगह, जैसे कर्नाटक में जॉब नहीं मिलेगी। वह मान्य नहीं होगा। अब सीएनएन कंपोनेंट होने के कारण 40-40 परसेंट रखने लगे। अब यह भारत सरकार ने जोड़ रखा है तो हमें भी करना पड़ा।

समिति का प्रश्न था कि जब भी आप लोग सक्षम स्तर पर बात करें तो यह ध्यान में लाया जाना चाहिए कि टार्गेट बहुत ही ज्यादा हैं। इससे क्या होता है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वह टिक नहीं पाता है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि यह आज का निर्णय नहीं है। यह तो 2015 का निर्णय है, सीएनएन में जाने का। अब तो पोस्ट सीएनएन में 70 प्रतिशत जरूरी हो

गया है। आरएसटीपी में जो हम करा रहे हैं उसमें नियम है कि 40-50 प्रतिशतप्लेसमेंट होना चाहिए। उसमें इतनों को रोजगार मिल जाएगा तो 20 प्रतिशत सेल्फ एम्प्लायमेंट कर दिया। अगर मान लीजिए किसी का टार्गेट उसमें पूरा नहीं हो तो 20 प्रतिशत वाले में कर ले। इस प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं।

समिति का अभिमत

समिति सिफ़ारिश करती है कि विभागीय परीक्षण के दौरान विभाग द्वारा वर्णित फिजीकल वेरिफिकेशन हेतु संशोधित व्यवस्था को लागू कर उसके प्रमुख बिंदुओं, उसके क्रियान्वयन तथा प्राप्त परिणामों के अद्यतन विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि NSDC और IMACS द्वारा राजस्थान में कौशल विकास हेतु 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान किये जाने के बावजूद भी निगम द्वारा इन क्षेत्रों में केवल55.74 प्रतिशतप्रशिक्षण दिये जाने के औचित्य/कारणों एवं अब प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कार्यवाही कर की गई कार्यवाही के पूर्ण अद्यतन विवरण से प्राप्त परिणामों सहित शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि आरएसटीपी एवं ईएलएसटीपी कार्यक्रमों में प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यधिक कम आयोजित करवाया जाना एवं विभाग द्वारा प्रशिक्षणों के चयन से पूर्व अपने स्तर पर संभावित रोजगार के क्षेत्रों के लिए कोई सर्वे/अध्ययन भी नहीं किया जाना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है, जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित कर एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर तथा ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहितअवगत कराया जाये।

3.10.4 न्यूनतम रोजगार प्रदानकरने में असफल होना

• आरएसएलडीसी द्वारा आयोजित तीनों कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों केदिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्पन्न होने के 45 दिनों मेंईएलएसटीपी/आरएसटीपी के तहत न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं डीडीयू-जीकेवाई केअन्तर्गत 70 प्रतिशत रोजगार न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु प्रदान करना था।

आगे, ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा दिये गयेप्रत्येकनियोजन को आरएसएलडीसी के नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा दूरभाष सेसत्यापित किया जाना था। न्यूनतम 20 प्रतिशत नियोजनों का भौतिक सत्यापन भीकिया जाना आवश्यक था।

प्रशिक्षण प्रदाता को 40:40:20 के अनुपात में तीन किश्तों में भुगतान किया जानाथा।प्रशिक्षणार्थियों के न्यूनतम 50 प्रतिशत नियोजन की सुनिश्चिता के पश्चात् हीं20प्रतिशत की अन्तिम किश्त जारी की जानी थी। अगस्त 2017 तक कुलप्रशिक्षित युवाओं एवं नियोजन का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3

योजना का नाम (2014-17)	उपलब्ध करायी गयी सूचना	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	न्यूनतम रोजगारजो दिया जाना था	उपलब्ध कराये गये नियोजन की संख्या	कुल प्रशिक्षित का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (5/3*100)
ईएलएसटीपी	अगस्त 2017	1,27,817	63,908	42,758	33.45
आरएसटीपी	अगस्त 2017	15,555	7,777	2,807	18.05
डीडीयू-जीकेवाई	अगस्त 2017	32,418	22,692	16,979	52.38
कुल	**अगस्त 2017**	**1,75,790**	**94,377**	**62,544**	**35.58**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

अगस्त 2017 के अनुसार, तालिका से स्पष्ट है कि आरएसएलडीसी न्यूनतमआवश्यक नियोजन का 66.27 प्रतिशत और कुल प्रशिक्षित युवाओं का 35.58प्रतिशत ही नियोजन उपलब्ध करवा सका।

नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ के पास आरएसटीपी एवं डीडीयू-जीकेवाई के लिये नियोजनों का सत्यापन उपलब्ध नहीं था। तथापि, 2014-17 के दौरान ईएलएसटीपीके अन्तर्गत नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा किये गये सत्यापन का विवरणतालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 4

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल**
1.	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	1,27,817
2.	प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	42,758
3.	नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ को सत्यापन हेतु प्रेषित नियोजनों की संख्या	26,444
4.	नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा वास्तविक पाये गये नियोजनों की संख्या	9,904
5.	नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सही पाये गये नियोजनों का प्रतिशत(4/3∗100)	37.45

स्त्रोत:विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा केवल61.85 प्रतिशत (42,758 में से 26,444) रोजगारों को ही दूरभाष से सत्यापितकिया गया था। सत्यापित किये गये मामलों में से केवल 37.45 प्रतिशत (26,444में से 9,904) मामलों में ही वास्तविक रूप से नियोजन दिया गया। इससे पताचलता है किआरएसएलडीसी द्वारा रिपोर्ट में बताये गये नियोजन सम्बन्धी आँकड़ेइस सीमा तक गलत थे। इसके अलावा, नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ ने अनिवार्य 20प्रतिशत नियोजन का भौतिक सत्यापन नहीं किया। अतः आरएसएलडीसी द्वाराभौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण, दूरभाष द्वारा किये गये नियोजन के सत्यापनकी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2017) कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदाता केनियोजन के आँकड़ेअभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं और नियोजन के आँकड़े स्वीकारकरने की समय सीमा नवम्बर 2017 तक संशोधित कर दी गई है और इसलियेनियोजन के आँकड़ेऔर बेहतर हो सकते हैं। यह भी बताया गया कि पूर्णदस्तावेजों को नियोजन के अंतिम प्रमाण के आधार पर नियोजन स्वीकार करने हेतुबोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया था। दूरभाष/भौतिक सत्यापन द्वारा नियोजितयुवाओं का सत्यापन केवल अनुसंधान एवं प्रभावी आंकलन के लिये उपयोग मेंलिया जाना था। तद्नुसार नवम्बर 2017 तक प्रशिक्षित और नियोजित युवाओं केसंशोधित विवरण प्रदान किये गये थे, जिनका अगस्त 2017 में दी गयी सूचना सेतुलनात्मक विवरण नीचे **तालिका 5** में दिया गया हैः

तालिका-5

योजना का नाम (2014-17)	**उपलब्ध करायी गयी सूचना**	**प्रशिक्षित युवाओं की संख्या**	**न्यूनतम रोजगार जो दिया जाना था**	**उपलब्ध कराये गये नियोजन की संख्या**	**न्यूनतम आवश्यकता का प्रतिशत**	**कुल प्रशिक्षित का प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(5/4*100)**	**7(5/3*100)**
ईएलएसटीपी	अगस्त2017 नवम्बर 2017	1,27,817 1,27,548	63,908 63,774	42,758 53,525	66.91 83.93	33.45 41.96
आरएसटीपी	अगस्त 2017 नवम्बर 2017	15,555 14,134	7,777 7,067	2,807 6,619	36.09 93.66	18.05 46.83
डीडीयू-जीकेवाई	अगस्त 2017 नवम्बर 2017	32,418 32,418	22,692 22,692	16,979 18,087	74.82 79.71	52.38 55.79
	अगस्त 2017 नवम्बर 2017	**1,75,790 1,74,100**	**94,377 93,533**	**62,544 78,231**	**66.27 83.64**	**35.58 44.93**

स्त्रोत :विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

• यह भी पाया गया था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षणप्रदाता द्वारा आरएसएलडीसी को अन्तिम बिल प्रस्तुत/जमा करना था। इसकेअतिरिक्त, कार्यक्रम की समाप्ति के पांच माह के अन्दर प्रशिक्षण प्रदाता द्वाराप्रशिक्षणार्थियों के न्यूनतम संख्या में नियोजन को सुनिश्चित करने के पश्चात् हीतीसरी किश्त 20 प्रतिशत का भुगतान करना था। 2014-17 के दौरान, प्रशिक्षणप्रदाता द्वारा आयोजित 4,849 बैचों में से केवल 71 बैचों में ही 20 प्रतिशत कीतीसरी किश्त का भुगतान किया गया। शेष 4,778 (98.54 प्रतिशत) बैचों में,प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा तीसरी किश्त का दावा करने अथवा भुगतान किये जाने केकोई अभिलेख नहीं थे।

इस प्रकार, न्यूनतम रोजगार प्राप्त करने के लिए 20 प्रतिशत भुगतान को रोकनाप्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा उम्मीदवारों के नियोजन कोसुनिश्चित करने के लिए प्रभावीनहीं था।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया किइस पैराग्राफ में सीएजी प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 201 के अंकित पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित प्रत्युत्तर (दिनांक 10.11.2017) में यह कहा है कि निगम को अभी प्रशिक्षण प्रदाताओं से नियोजन के अंतिम दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए है अतः नियोजन के आँकड़े स्वीकार करने की समय सीमा नवम्बर-2017 तक संशोधित कर दी गई है। इसके पश्चात निगम द्वारा मार्च-2017 तक पूर्ण हुए समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन संबंधी अंतिम दस्तावेज जमा कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई 2018 की गई (आदेश सं 273-84 दिनांक 06.04.2018 की प्रति का समिति ने अवलोकन किया)। इस आदेश के पश्चात CAG पैरा में वर्णित नियोजन आधारित तालिका क्रमांक-5 की अक्टूबर-2018 की स्थिति निम्नानुसार है-

तालिका-5

योजना का नाम (2014-18)	**उपलब्ध करायी गयी सूचना**	**प्रशिक्षित युवाओं की संख्या**	**न्यूनतम रोजगार जो दिया जाना था**	**उपलब्ध कराये गये नियोजन की संख्या**	**न्यूनतम आवश्यकता का प्रतिशत (5/4*100)**	**कुलप्रशिक्षित का प्रतिशत (5/3*100)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ईएलएसटीपी	अगस्त 2017	1,27,817	63,908	42,758	66.91	33.45
	नवम्बर 2017	1,27,548	63,774	53,525	83.93	41.96
	अक्टूबर 2018	**1,25,736**	**62,853**	**63,804**	**101.51**	**50.74**
आरएसटीपी	अगस्त 2017	15,555	7,777	2,807	36.09	18.05
	नवम्बर2017	14,134	7,067	6,619	93.66	46.83
	अक्टूबर 2018	**14,134**	**7,067**	**7,289**	**103.14**	**51.57**
डीडीयू-जीकेवाई	अगस्त 2017	32,418	22,692	16,979	74.82	52.38
	नवम्बर2017	32,418	22,692	18,087	79.71	55.79
	अक्टूबर 2018	**32,418**	**22,692**	**21,967**	**96.80**	**67.76**
कुल	अगस्त 2017	1,75,790	94,377	62,544	66.27	35.58

	नवम्बर 2017	1,74,100	93,533	78,231	83.64	44.93
	अक्टूबर 2018	**1,72,288**	**92,612**	**93,060**	**100.48**	**54.01**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि निगम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योजना की निर्देशिका में निर्धारित नियोजन के प्रतिशत को प्राप्त करने में सफल रहा है।

माह अक्टूबर-2018 तक की उक्त दर्शित स्थिति में निगम द्वारा आक्षेप में वर्णित कुल 4849 बैचेज में से 1669 बैचेज के 20% नियोजन आधारित भुगतान के दावों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष प्रकरणों का निस्तारण प्रगति पर है। जिन प्रकरणों (578 बैचेज) में नियोजन संबंधी दस्तावेज प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निगम को उपलब्ध नहीं कराए गए है, उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त तालिकानुसार निगम द्वारा न्यूनतम रोजगार का प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हैं।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

(i) आरएसएलडीसी के नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा आरएसटीपी एवं डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत नियोजनों का सत्यापन नहीं किये जाने एवं ईएलएसटीपी के अन्तर्गत केवल 61.85 प्रतिशत नियोजनों को ही दूरभाष से सत्यापित किये जाने के कारणों से अवगत करवाया जाना अपेक्षित है। जबकि ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा दिये गये प्रत्येक नियोजन को दूरभाष से सत्यापित किया जाना अपेक्षित था।

(ii) आक्षेपानुसार नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापित किये गये मामलों में से केवल 37.45 प्रतिशत मामलों में ही वास्तविक रूप से नियोजन दिया गया है। अत: आरएसएलडीसी द्वारा रिपोर्ट में बताए गए नियोजन संबंधी आंकडों को कैसे वैद्य माना जा सकता है**?** स्पष्ट करना अपेक्षित है।

(iii) ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम 20 प्रतिशत नियोजनों का भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने के कारणों का समावेश अंतिम क्रियान्विति में अपेक्षित है। साथ ही भौतिक सत्यापन के अभाव में दूरभाष द्वारा किये गये नियोजनों के सत्यापन की प्रमाणिकता को कैसे सिद्ध किया जा सकता है**?** स्पष्ट करें।

(iv) नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन किये जाने पर वास्तविक रूप से नियोजन दिये जाने के मामले कम आने पर क्या संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के विरूद्धविभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है**?**

(v) आक्षेपानुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा आयोजित **4849** बैचों में से जिन बैचों में **20** प्रतिशत की तीसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया हैं**,** उन प्रकरणों का निस्तारण पूर्ण कर अद्यतन प्रगति का समावेश प्रमाणों सहित अंतिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

(vi) प्रेषित उत्तर के अनुसार जिन **578** बैचों के नियोजन संबंधी दस्तावेज प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निगम को उपलब्ध नहीं कराए गए है**,** उन प्रकरणों में प्रक्रियाधीन कार्यवाही पूर्ण कर अद्यतन प्रगति का समावेश अंतिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

<u>संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम उत्तर (दिनांक 20.12.2019) में विभाग ने बताया कि</u>

(i) A.

डीडीयूजीकेवाईयोजनामेंप्लेसमेन्टवेरीफिकेशनएकनिर्धारितप्रक्रियाहैजिसकास्वतःपालनकियागयाहै।

B. आरएसटीपीयोजनामेंइसप्रकारकेवेरीफिकेशनकाप्रावधानयोजनाकीनिर्देशिकामेंनहींथा।

C. ईएलएसटीपीयोजनामेंमार्गदर्शिका 2014-15 मेंयहप्रावधानथाजिसमेंटेलीफोनकेअतिरिक्तभौतिकरुपसेअथवाअन्यउपयुक्तमाध्यमसेजिसमेंरोजगारस्थलपरजाकरसत्यापनकाप्रावधानकियागयाहै।दूरभाषसे 61.85 प्रतिशतनियोजनोंकासत्यापनकियागयाहैपरन्तुदूरभाषसेसत्यापनकेनेसर्गिकसीमाओंकोदृष्टिगतरखतेहुएइससत्यापनप्रणालीकीसमीक्षाबोर्डकी 14वींबैठकमेंकीगईतथासत्यापनकीप्रणालीमेंदूरभाषसत्यापनकतिपयमामलोंमेंहीअनुज्ञेयकियागयातथायहनिश्चितकियागयाकिदिनांक 02.09.2015केबादपूर्णहोनेवालेबैचेजकोउनकेद्वाराप्रस्तुतरोजगारसम्बन्धी

प्रपत्रोंकेआधारपरहीनियोजनमानलियाजावे।इसकारणभौतिकसत्यापनकाप्रतिशत 61.85 प्रतिशतसेअधिकबढनासंभवनहींरहगयाहै।इसविषयमेंजारीपरिपत्र 3/2017 कीप्रति(जिसका समिति ने अवलोकन किया) संलग्नकरतेहुएउल्लेखनीयहैकिनियोजनसम्बन्धीअन्यआक्षेपक्रमांक 2,3,4 कोइसीआलोकमेंदेखाजाए।

(ii) उपरोक्तानुसार

(iii) उपरोक्तानुसार

(iv) उपरोक्तबिन्दु (i) केअनुसारभौतिकसत्यापनमेंव्यावहारिकरुखअपनातेहुएदिनांक 31 मई 2018 तकविगतबैचेजकेलियेरोजगारदस्तावेजजमाकरानेकाअवसरदियागयाहै (आदेशदिनांक06.04.2018 कीप्रतिका समिति ने अवलोकन किया)।जिनप्रशिक्षणप्रदाताओंनेऐसेदस्तावेजजमानहींकराएहैंउनका 20 प्रतिशतकाप्लेसमेंटआधारितभुगताननहींकियागयाहै।

(v) उपरोक्तबिन्दु (iv) मेंवर्णितआदेशदिनांक06.04.2018 केसमक्षनियोजनसम्बन्धीदस्तावेजप्राप्तहुएहैं। 4849 मेंसेजो दस्तावेजप्राप्तहोचुकेहैं उनकानिस्तारणप्रक्रियाधीनहैं।इसकीअंतिमसूचनाइनकेनिस्तारणपरउपलब्धकराईजासकेगी।

(vi) उपरोक्तानुसार

दिनांक 10.01.2020 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से किये गये विचार-विमर्श का शब्दश: विवरण निम्नानुसार है:-

समिति ने जानकारी चाही कि आपका यह जो 40:40:20 वाला फार्मूला है उसके आधार पर जो 20 प्रतिशत है उसको तो ज्यादातर लोग उठा ही नहीं पाए। यह जो ट्रेनिंग और असेसमेंट का 40:40 है, यह हलवा-हलवा तो खा लिया बाकी का छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि जो मिल गया वही ठीक है। इसमें करना, कराना तो कुछ है नहीं। इसमें से 20 पर्सेंट जिन्होंने पैसा नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बिना प्लेसमेंट के यह 80 प्रतिशत पैसा कैसे उठा लिया। इसमें विभाग की तरफ से यह होना चाहिए कि वैरीफिकेशन के बाद ही उसको 20 प्रतिशत पैसा मिल पाएगा। कुछ गिने-चुने संस्थान हैं, जो 70-71 हैं, उनको वह मिला है।दूसरों को तो मिला ही नहीं है।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि इसमें यह होता था कि बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता था। उसका एक तरीका यह निकाला है कि किसी ट्रेनिग पार्टनर ने एक हजार का टार्गेट हासिल कर लिया तो उसने क्या किया उनमें से ट्रेनिंग करवा दी 800 की और असेसमेंट भी किसी तरह से करवा दी और 200 लोगों को ही प्लेसमेंट मिला। 800 में से 200 को ही प्लेसमेंट मिला, तो उसने 800-800-200 के हिसाब से 40:40 के हिसाब से कर दिया और 200 के हिसाब से 20 पर्सेंट कर दिया। अभी पिछले साल ही हमने इसमें चेंज किया है कि कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला उसके हिसाब से उनको नंबर दिये। जितने को ज्यादा प्लेसमेंट मिला उतने को ज्यादा नंबर दिये। हमने इसमें ए,बी,सी और डी कैटेगिरी बना दी। इससे क्या हुआ कि ऐसे ज्यादातर लोग जो कि प्लेसमेंट नहीं करा पाए वह डी कैटेगिरी में आ गए। इससे हमारा परपज सोल्व हो पाएगा कि लोगों को हर हालत में प्लेसमेंट मिले। निल प्लेसमेंट जिसको मिला उसकी इसमें दुबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यह फॉर्मूला करने के बाद 261 लोग इससे बाहर हो गए। इनमें से ज्यादातर लोग वही थे जो केवल ट्रेनिंग कराते थे, असेसमेंट कराते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे।

समिति का प्रश्न था कि पैरा3.10.3 वाले में तो यही था। इसके बाद 3.10.4 वाले में न्यूनतम रोजगार प्रदान करने में असफल होनी वाली ही बात है। लगभग बात तो वहीं खत्म हो रही है। अब आप इसको 70 प्रतिशत कर रहे हैं तो टार्गेट अचीव होने नहीं, फिर क्या फायदा है?

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। हम तो चूंकि भारत सरकार की गाईड लाईन फॉलो करते हैं, ताकि जो हम स्किल ट्रेनिंग यहां करा रहें हैं तो व्यक्ति को अन्य किसी जगह भी जॉब पाने में दिक्कत नहीं हो। इसके कारण हमारे लिए 70 प्रतिशत करना हमारे लिए मजबूरी है। यह कोई हमारी मर्जी से नहीं है।

समिति का प्रश्न था कि अगर यह शर्तें 70 परसेंट की जुड़ी रही तो क्या आप टार्गेट अचीव कर पाएंगे?

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि अब यह जो हम वैरीफाई कर रहे हैं, चैंकिंग कर रहे हैं, उसमें जैसे हमने पाया है कि पाईप बनाने वाला है, चूड़ी की दुकान है, चूड़ी

बनाने वाला है, वह क्या स्किल डवलप कराएगा। ऐसी कंपनियों को हमने रिजेक्ट कर दिया है।इस तरह के लोगों को स्किल के बिजनिश में लगाने का कोई कारण नहीं है।

समिति का मत था कि इस बारे में जो जवाब आप अभी दे रहे हैं, अगर वही जवाब पहले दे देते तो यह करना नहीं पड़ता।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि जिस दिन से फरवरी में मैंने विभाग में जोइन किया, इस बात पर ध्यान देना शुरू किया।

समिति का प्रश्न था कि जवाब देने वाले भी होशियार हैं, विषय को इतना इधर किया, इतना उधर किया लेकिन हैं वहीं के वहीं, लेकिन उसको कुल मिलाकर इस तरह से किया कि लगे पालना हो गई लेकिन अंत में खड़े वहीं के वहीं ही हैं।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि हमारे ऊपर कई बातें आ गई लेकिन हमने इसको पोजिटिव तरीके से लिया, इसकी लम्बी स्टडी की, बहुत मशहूर संस्थाएं हैं लेकिन पीएसी के पैरे से पता चलता है कि कहां-कहां लेकुना रहा है और उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं।

समिति का मत था कि वास्तव में यदि सुधार हो जाएंगे तो आपकी संख्या तो घट सकती है, ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग कम हो सकती है लेकिन जितना पैसा सरकार का इसमें लग रहा है उसका सदुपयोग हो सकता है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि एजी के पैरा में इंगित बातों पर उसके आगे के वर्षों में ध्यान देने से काफी पैसा बचा भी है।

समिति का प्रश्न था कि पैरा 3.10.4 न्यूनतम रोजगार प्रदान करने में असफल रहना। इसमें तालिका-5 में लिखा है, इसमें आंकड़े अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018 तक के शामिल हैं, अक्टूबर 2018 में प्लेसमेंट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो डेटा निकला वह कैसे निकला? यह आंकड़े मिलाने के लिए टाइम बढ़ाया गया है। जो फिगर आगे आई है, आगे के लिए सुधारा गया है, वह तो हो सकता है, अभी तक जो कुछ हो सकता है वह इन आंकड़ों को मिलाने की दृष्टि से किया गया है। आपके नियम हैं कि काम समाप्त होने के 5 महीने तक आपको उसकी पूरी रिपोर्ट देनी है कि वे काम पर लग गए। आपको समय सीमा दे रखी थी 5 महीने बढ़ाकर, 31 मई 2018, 210 दिन कर दिया,

यह अधिकार था नहीं आपको, इस अधिकार का उपयोग किया आपने इसलिए प्रतिशत 35 था, फिर 54 पर आता है, इससे 50 प्रतिशत से ऊपर आ गया आपका आंकड़ा और आप पैसा रिलीज कर सकते हैं, हो सकता है कि इसको इस प्रकार से किया गया हो।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि सीएनएन की गाईडलाईन के हिसाब से किया है, अपने हिसाब से नहीं किया है, प्रशिक्षण प्रदाताओं से नियोजन के अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए इसलिए इन आंकड़ों को स्वीकार करने की सीमा नवम्बर 2017 एवं मार्च 2017 तक पूर्ण हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन सम्बन्धी अंतिम दस्तावेज जमा कराने की सीमा बढ़ाकर 31 मई 2018 की गई।

समिति का मत था कि ट्रेनिंग करने के बाद 5 महीने में काम पर लगना था, उसको आपने बाद में बढ़ाया है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि सीएनएन, ईएसटीपी के संदर्भ में बढ़ाया गया है। 2014-17 के बीच तो 5 महीने का ही था, सीएजी का पैरा उस समय का बना हुआ है।

प्रधानमहालेखाकार का मत था कि इसमें गारंटी नहीं है कि इसी के अनुसार हुआ है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि 2017-18 के बारे में बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्रामईयर एंड के हिसाब से नहीं हो पाता। अक्टूबर में ऑर्डर प्लेस किया, एक आदमी ने सेंटर बनाया, मकान मालिक ने उसे मकान दिया, उसने निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की, ऐसा करते-करते वह जनवरी में ही शुरू कर पाएगा, जनवरी में शुरू करेगा तो तीन महीने का प्रोग्राम तीन महीने में पूरा नहीं होगा, कई छुट्टियां भी आएंगी बीच में, मई एंड तक वह कोर्स चला जाएगा, 7 महीने लग जाएंगे, 2017-18 का 31 मार्च एंड तक नहीं करेगा, आगे बढ़ जाता है। यह प्रैक्टिकल है, नोर्मली यह फाइनेंशल ईयर से बाहर चला जाता है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि यह सारा बोर्ड का निर्णय था। यह संयोग हो सकता है, बोर्ड का निर्णय ऑडिट पैरा को वॉयलेशन करने के उदेश्य से नहीं था।

समिति का प्रश्न था कि आपके 50 प्रतिशत का जो इसमें टार्गेट पूरा नहीं होता है। अगस्त 2017 तक ईएलएसटीपी का कुल प्रशिक्षित का प्रतिशत 33.45, आरएसटीपी का

18.05 और डीडीयूजीकेवाई का 52.38 था। सारा मिलाकर भी कुल प्रशिक्षितों का जो प्रतिशत आया है, जो नियोजित हुए हैं वे 35.58 ही हैं। मतलब यह है कि जिनकी ट्रेनिंग हुई है उनमें से किसी को भी यह सारा पैसा नहीं मिला।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि ट्रेनिंग का कम्पोनेंट असेसमेंट भी होता है वह थर्ड पार्टी होता है।

समिति का प्रश्न था कि इस पैरे में थर्ड पार्टी असेसमेंट सिंगल भी नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी असेसमेंट का प्रोविजन है लेकिन हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन किया, टेलिफोनिक वेरिफिकेशन और एक्चुअल वेरिफिकेशन में अंतर होता है। नियोजन सत्यापन का आपने जो तालिका-4 में लिखा है कि प्रशिक्षितों की संख्या 1,27,817 थी, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 42,758 थी। नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ को सत्यापन हेतु प्रेषित नियोजनों की संख्या 26,444 थीलेकिन वास्तविक पाए गए नियोजनों की संख्या 9,904 और उसका प्रतिशत 37.45 ही था। जो फीगर हैं वे हमारे काम के बारे में इंगित कर रहे हैं कि फील्ड पर काम को देखें तो कितना लेकुना है। जिन लोगों ने इस प्रकार काम किया उनके खिलाफ भी कार्यवाही देखते हैं तो नहीं के बराबर है। जिन लोगों के खिलाफ यह फिगर आने के बाद कार्यवाही होनी चाहिए थी, कार्यवाही का फिगर देखते हैं नहीं के बराबर है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि चूंकि इसमें एडवांस पेमेंट का नियम नहीं है, किसी काम का असेसमेंट किया, प्लेसमेंट कम हुआ या नहीं हुआ तो उसका सारा पैसा पेनल्टी में चला गया, उसकी कोस्ट इनकम के मुकाबले बहुत कम थी। मकान मालिक से मकान लिया, किराया दिया, बच्चे रखे, सामान दिया, बच्चे चले गए, उसका पैसा बहुत ज्यादा कट गया, यह उसका पनिशमेंट ही हो गया, खर्च के मुकाबले आय नहीं हुई। आपने शुरू में कहा कि पेमेंट नहीं हो रहा है, 2016-17 का पेमेंट पेंडिंग था, 2016-17 का पेमेंट 2017-18 में कर रहे हैं, अभी 2017-18 का पेमेंट 2019-20 में चल रहा है, लम्बी पेंडेंसी मिली है, 2019-20 का पेमेंट अप्रैल 2020 के बाद शुरू होगा।

समिति का मत था कि एजी ने जो प्रश्न उठाया है वह परफेक्ट है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि एजी ने जो फिगर दिए हैं इसको यहां विवादित नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सही लिखा होगा।

समिति का प्रश्न था कि जिनको पेमेंट हो चुका है उनसे रिकवरी करेंगे? करेंगे तो कैसे करेंगे?

आयुक्तने उत्तर में बताया कि दोनों स्कीमों, जीकेवाई में रिकवरी का प्रोविजन है, 10 प्रतिशत पेनल्टी है, कई कम्पनियों के खिलाफ रिकवरी भी की है। अम्बूजा, अपोलो जैसी बड़ी कम्पनियों से भी रिकवरी की गई है। इनको करोड़ों रुपयों का लोस हुआ है, यह चीज हमारे समय में हुई है। इस मैकेनिज्म को काफी मजबूत कर दिया गया है।

समिति का प्रश्न था कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जिस तरह से किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि थर्ड पार्टी असेसमेंट 2 तरह का होता है, इनका एक्जाम भारत सरकार की कौंसिल लेती है, ऑनलाइन एक्जाम होता है इसमें 80-90 प्रतिशत बच्चे बैठते हैं, उनमें से 80-85 प्रतिशत बच्चे पास होते हैं, इस प्रकार लगभग 65 प्रतिशत बच्चे प्लेसमेंट स्टेज पर आ जाते हैं।

समिति का मत था कि ट्रेनिंग करवाने का हमारा उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है कि वह अपना स्वरोजगार करे इसलिए ट्रेनिंग की क्वालिटी भी सुधारी जानी चाहिए। आपने किस प्रकार की ट्रेनिंग दी है उसका सही असेसमेंट तो हो। उनको तीन महीने का पैसा भी दिया है, समय भी कुछ लगा है, यह सब केवल नौकरी के लिए नहीं स्वरोजगार से जुड़ने के लिए किया गया है।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि 80 प्रतिशत बच्चे नोर्म्स पूरा कर लेते हैं, इनमें से बहुत सारे अपना स्वयं का रोजगार भी करते होंगे। कुछ बच्चे उनमें हायर एजुकेशन भी ले रहे होंगे।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि हमारे यहां तो दसवीं और बारहवीं के ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने आगे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। भारत सरकार अपनी स्कीमों में चेंज ला रही है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को वे 31 मार्च को वाइण्ड-अप कर देंगे। वे 1 अप्रैल के बाद नयी स्कीम ला रहे हैं। जीकेवाई में 25 परसेंट एडवांस मिलता है। उसके बाद जो लोग ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेते हैं तो अगली किश्त मिलती है जो कि पहले 25 थी। हम उसे अब 15 पर ला रहे हैं। ऐसा इसलिये, क्योंकि 25 परसेंट तो वह

पहले ले लेता था, 25 परसेंट ट्रेनिंग के बाद ले लेता था, तो 50 परसेंट पैसा ले लेने के बाद उसे प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं रह जाता था।

जीकेवाई में काफी सुधार की गुंजाइश है। GKY is the policy which is initiated from the Ministry Of Rural Development. अभी भारत सरकार के ज्वाइंट सैक्रेटरी आये थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें हमारे आड़े आ रही हैं। मान लें हमने सौ बच्चों का बैच बनाया तो उसमें स्टेट के इतने एससी, इतने एसटी, इतने माइनोरिटी में भी गर्ल्स होनी चाहिए। कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, जिनमें गर्ल्स के लिये कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन अगर वह गर्ल्स को नहीं देता है तो हम उसके पैसे काटते हैं। तो इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए।

समिति का अभिमत

समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों का विभाग द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। अतः इस विभागीय विफलता के लिए दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि विभागीय परीक्षण के दौरान विभाग द्वारा वर्णित तथ्य कि उन प्रशिक्षण प्रदाताओं, जिन्होंने मात्र प्रशिक्षण कराया एवं नियोजन देने में विफल रहे,के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, के परिपेक्ष्य में ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओंके पूर्ण विवरण तथा उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अद्यतन पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन किये जाने पर जिन प्रकरणों में वास्तविक रूप से नियोजन सत्यापित होना नहीं पाया गया, उनमें विभाग/निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता के विरुद्ध कार्यवाही कर की गई कार्यवाही के पूर्ण अद्यतन विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

<u>समिति सिफ़ारिश करती है कि वर्ष 2014-17 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वाराआयोजितकुल बैचों में से 20 प्रतिशत की तीसरी किश्त का भुगतान प्राप्त न करने अथवा विभाग द्वारा नहीं किए जाने के प्रकरणों के पूर्ण विवरण एवं इनमें उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन प्रगति के विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।</u>

<u>3.10.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

प्रशिक्षण प्रदाता का अनुश्रवण करने में विभाग की विफलताः ईएलएसटीपीके दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, आरएसएलडीसी द्वारा उन प्रशिक्षणप्रदाताओं के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी थी, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा होनेके बाद कम से कम 50 प्रतिशत नियोजन प्रदान करने में विफल रहे। इसकेअतिरिक्त, कम से कम छः माह तक उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को कोई कार्यक्रमनहीं दिया जाना था जो प्रशिक्षण के पश्चात् न्यूनतम 35 प्रतिशत नियोजन प्रदानकरने में असफल रहे थे। 2014-17 के दौरान जहां दो या अधिक बैचों मेंप्रशिक्षित युवाओं के नियोजन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम था, उन प्रकरणोंका विवरण नीचे **तालिका 6** में दिया गया है

तालिका 6

प्रशिक्षितयुवाओं के नियोजन का प्रतिशत	**पूर्ण बैचों की संख्या**	**प्रशिक्षितयुवाओं की संख्या**	**नियोजन की संख्या**	**कुल प्रशिक्षितमें नियोजन का प्रतिशत**
0	530	14,560	0	0.00
< 35	1,068	29,270	6,460	22.07
35 < 50	1,091	29,315	13,006	44.37
कुल	2,689	73,145	19,466	26.61
0-100	4,752	1,27,548	53,525	41.96
कुल बैचों का प्रतिशत	**56.59**	**57.35**	**36.37**	

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 4,752 बैचों में से 2,689 (56.59प्रतिशत) में अनिवार्य 50 प्रतिशत नियोजन प्राप्त नहीं हुआ था। 1,068 बैचों मेंनियोजन का अनुपात 35 प्रतिशत से कम था और 530 बैचों में कोई नियोजन हीनहीं दिया गया

था। आरएसएलडीसी को उन सभी बैचों और उनके प्रशिक्षणप्रदाताओं के प्रदर्शन की समीक्षा करनी थी।

यह दर्शाता है कि आरएसएलडीसी प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रदर्शन का अनुश्रवण नहींकर रहा था। आरएसएलडीसी को प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों कोदेने से पूर्व उनकी क्षमता की, उपलब्ध करवाये गये नियोजन के आधार पर समीक्षाकी जानी थी, क्योंकि आयोजित बैचों में से 56.59 प्रतिशत में आवश्यक अनुपातमें नियोजन नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2017) कि प्रशिक्षण प्रदाताओं से पूर्ण विवरणप्राप्त न होने के कारण उनके प्रदर्शन की समीक्षा पर्याप्त रूप से नहीं की जासकी और वास्तव में 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 10 एवं 30 प्रशिक्षणप्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2014-17 के दौरान 2,689 गैर-प्रदर्शनकारी बैचों (133 प्रशिक्षण प्रदाताओं के सम्बन्धित) में 50 प्रतिशत से कम नियोजन होने केबावजूद केवल 40 प्रशिक्षण प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जो अपर्याप्तथी। इसके अलावा, गैर प्रदर्शनकारी प्रशिक्षण प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहींकरने के परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से कम नियोजन वाले बैचों की संख्या2014-15 में 43.69 से बढ़कर 2016-17 में 58.60 प्रतिशत हो गई।

- ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणन एक स्वतंत्रतृतीय पक्ष द्वारा किया जाना था, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद(एनसीवीटी)/राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (आरसीवीईटी)/क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) या आरएसएलडीसी से अनुमोदित हो। लेकिनमूल्यांकन एवं प्रमाणन किये जाने का कोई प्रमाण अभिलेखों में नहीं पायागया।

  राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2017) किपूर्ववर्ती अवधि में तृतीय पक्षों द्वारा मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं किया गयाथा क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कुछ संस्थाओं ने ही राज्य वित्त पोषित योजनाओंके लिये मूल्यांकन एवं प्रमाणन किया था। तद्नुसार, 2014-17 के दौरानकेवल 1,172

बैचों (34,953 प्रशिक्षणार्थियों) हेतु मूल्यांकन एवं प्रमाणन कियागया था। यह भी बताया गया कि 2017-18 से प्रशिक्षित युवाओं का स्वतन्त्रतृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

- कौशल विकास केन्द्रोंकी प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलेक्टर केअधीन जिला स्तर पर कौशल विकास समितियां स्थापित की गई थीं।प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिये उन्हें प्रत्येक माह बैठकों का आयोजनकरना था। तथापि, आवश्यक बैठकों में से केवल 38 प्रतिशत बैठकों का हीआयोजन किया गया था एवं बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं सिफारिशों कीअनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में आरएसएलडीसी में कोई अभिलेख उपलब्धनहीं था।

  राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा और बताया (नवम्बर 2017) कि जिलाकलेक्टरों के पास अधिक जिम्मेदारियों के कारण मासिक समीक्षा बैठकेंआयोजितकरना मुश्किल था।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमोंकेअनुश्रवण के महत्व को देखते हुये समीक्षा बैठकआयोजित करने हेतु एक उपयुक्तवैकल्पिक प्राधिकरण की पहचान करनी चाहिये।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया कि

i. **प्रशिक्षणअनुश्रवणकरनेमेंविभागकीविफलताः**-यहआक्षेपतालिका-**6**परआधारितहैजिसकीअद्यतनस्थितिनिम्नानुसारहै-

Placement %	Total Batches Completed	Total Youth Trained	Total Placement	Placement % against trained
Equal to 0%	578	15313	0	0.00%
Below	251	7011	1776	25.33%

35%				
35% to 50%	365	10126	4392	43.37%
Total	1194	32450	6168	19.01%
0-100	4680	125736	63804	50.74%
Total % of batches	**25.51%**	**25.81%**	**9.67%**	

- कुलसंपादित4680बैचोंमेंसेमात्र578बैचोंकेसमक्षकिसीप्रकारकेनियोजनकीसूचनाप्राप्तन हींहोसकीहै।शेष4102बैचोंकेसमक्षनियोजनकीसूचनाप्राप्तहुईहैजिनमेंमाहअक्टूबर2018 तककेआंकलनकेअनुसार,
  मात्र251बैचोंकानियोजन35प्रतिशतसेकमएवं365बैचोंकानियोजन35से50प्रतिशतकाहै। शेषबैचोंमें50प्रतिशतसेअधिककेनियोजनकीसूचनाप्राप्तहुईहै।इसप्रकारवर्ष2014-15से2016-
  17तकप्राप्तनियोजनइनकुलसम्पन्नबैचोंका50.74प्रतिशतहोताहैजोकियोजनाकेअनुरुप है।जिन578बैचोंकेसमक्षनियोजनकीसूचनाप्राप्तनहींहुईहैउनसम्बन्धितप्रशिक्षणप्रदाता ओंकोआदेशदिनांक6अप्रैल2018केतहतऐसेबैचोंकीसंख्याकेआधारपरआगामीवर्षमेंनिय मितनहींरखागयाहै।

  अगस्त2018तककीअपडेटकेअनुसार2014-
  17तकसंपादित4680बैचोंमें1,25,736युवाओंनेप्रशिक्षणप्राप्तकियाजिसकेसमक्षअबतक 4102बैचोंकेरोजगारसम्बन्धीदस्तावेजप्राप्तहोचुकेहैं।प्रस्तुत4102बैचोंकेक्रममें63,804 युवाओंकेरोजगारसंबंधीदस्तावेजप्राप्तहुएहैंजोकिसम्पूर्णप्रशिक्षणका50.74प्रतिशतहै।इस प्रकारप्रशिक्षणकेसमक्षरोजगारसंबन्धीआंकड़ा50प्रतिशतपूर्णहोताहैजोकियोजनाकीमार्गद र्शिकाकेअनुरुपहै।रोजगारप्राप्तिकेआंकड़ोंमेंयहवृद्धिपूर्णहुएबैचोंकेविरुद्धप्रशिक्षणप्रदाता संस्थाओंसेप्राप्तनिर्धारितप्रपत्रोंमेंप्राप्तरोजगारसंबन्धीसूचनाएं/दस्तावेजप्राप्तहोनेसेहुईहै। जैसाकिस्पष्टकियागयाहैकिरोजगारसम्बन्धितसूचनाप्राप्तहोनाएकसतत्प्रक्रियाथी।

- प्रारंभिकवर्षोंमेंचूंकीप्रशिक्षणकार्यक्रमों, प्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकोलोगोंकेबीचस्थापितकरनाआवश्यकथाएवंशुरुआतीचरणमेंसम्पन्नप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेसमक्षप्रशिक्षणसम्बन्धीसूचनाएंप्राप्तनहींहोसकीथीइसलियेप्रथमदृष्टयाप्रगतिकेआधारपरप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकोआगामीवर्षोंकेलियेभीलक्ष्यआवंटितकियेगये।आगेकेवर्षोंमेंनिगमद्वाराप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकीस्वीकृतिकेसमक्षप्रगतिकामूल्यांकन/आंकलनकरतेहुएहीनिरन्तररखागयाहै।वर्ष2015-16एवं2016-17मेंजिनप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाओंकोNon Performing TPsकीश्रेणीमेंरखागयाउन्हेंक्रमशःवर्ष2016-17एवं2017-18मेंप्रशिक्षणकार्यक्रमआवंटितनहींकियेगयेहैं।

  CNN-ELSTP 2017-18मेंप्रत्येकबैचकीसमाप्तिकेबादप्रशिक्षणकार्यक्रमकीउपयोगिताप्रमाण-पत्र मयनियोजनजमाकराएजानेकीअधिकतमसीमा210दिवसरखीगईहै।निगमस्तरपरबैचवार210दिवसोंकीसमाप्तिएवंउपयोगिताप्रमाण-पत्रमयनियोजनजमाकराएजानेकीअवस्थाकीबैचवारनिगरानीरखीजातीहैएवं210दिवसपूर्णहोनेकेपश्चातभीदस्तावेजजमानाकरापानेकीस्थितिमेंऐसेबैचोंकीसंख्या05सेअधिकहोनेपरप्रशिक्षणप्रदातासंस्थाकोआगामीकार्यसेरोकेजानेकीप्रक्रियाअपनाईजातीहै।

  जैसाकिउक्तअनुच्छेद3.10.4केप्रत्युत्तरमेंप्रस्तुततालिका-**5**मेंप्रदर्शितस्थितिसेस्पष्टहैकिराज्यपोषितकौशलप्रशिक्षणयोजनाओं-ELSTP/RSTPतथाकेन्द्रप्रवर्तितयोजनाDDU-GKYमेंगाईडलाईनमेंनिर्धारितन्यूनतमनियोजनकाप्रतिशतप्राप्तकरलियागयाहैअतःआक्षेपमेंवर्णितस्थितिस्वतःहीसमाप्तहोगयीहै।

ii. तृतीयपक्षमूल्यांकनः-

आक्षेपमेंवर्णितELSTPयोजनामेंतृतीयपक्षमूल्यांकनकेसंबंधमेंविभागकीटिप्पणीहैकिनिगमकीईएलएसटीपीयोजनान्तर्गतसमस्तप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकाथर्डपार्टीअसेसमेन्टसेक्टरस्किलकाउन्सिल, एन.सी.वी.टी., आर.सी.वी.टी. अथवाआरएसएलडीसीद्वारास्वीकृतथर्डपार्टीकेमाध्यमसेकरवाएजानेथे।निगमद्वाराइसअवधिमेंयोजनामेंएम.ई.एस. केप्रशिक्षणकार्यक्रमसंचालितथे।सेक्टरस्किलकाउन्सिलकेस्तरपरइनप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेजॉबरोलएवंकोर्सकरिकुलमउससमयतैयार

नहींथे।एन.सी.वी.टी.

स्तरपरराज्यप्रवर्तितकौशलविकासयोजनाओंकाअसेसमेन्टकरनाप्रावधानितनहींथा।ऐसी स्थितिमेंनिगमनेहीदेशमेंपहलीबारपहलकरतेहुएअपनेस्तरपरसेक्टरस्किलकॉन्सिलोंकेसाथएम.ओ.यू.

करतेहुएनिगमकीईएलएसटीपीयोजनान्तर्गतसंचालितप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकोकाउन्सिल्स मेंमैपकरवायाएवंनिरन्तरपैरवीकरतेहुएइनप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेजॉबरोलएवंकोर्सकरिकुलमविकसितकरवाए।निगमकेऐसेहीनवाचारोंनेनिगमकेकौशलविकासकार्यक्रमकोदेशमेंसर्वाधिकचर्चितकियाएवंनिगमकोलगातारचारवर्षोंतकदेशमेंसर्वश्रेष्ठकौशलविकासकार्यक्रमसंचालनकरनेवालेराज्यकेरुपमेंसम्मानितकियागया।

CNN-ELSTP 2017-18मेंप्रत्येकबैचकाथर्डपार्टीअसेसमेंटअनिवार्यहै।वर्तमानमेंसभीसेक्टरस्किलकाउन्सिल(SSC's)सक्रियहैंएवंकाउन्सिल्सकेस्तरपरएनएसक्यूएफद्वारासंधारितअधिकतमप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेमॉडलकरिकुलमएवंजॉबरोलतैयारकरलियेगयेहैं।निगमद्वारावर्ष2017-18मेंसेक्टरस्किलकाउन्सिलवारवार्ताकरतेहुएउनसभीकोर्सेजकोशामिलकियागया,जोएनएसक्यूएफद्वारासंधारितकियेगयेहैंएवंजिनकामॉडलकरिकुलमएवंजॉबरोलसम्बन्धितसेक्टरस्किलकाउन्सिलकेस्तरपरउपलब्धकरादियागयाहै।

निगमद्वाराCNN-ELSTP 2017-18सेसंपादितसभीबैचोंकाशतप्रतिशतथर्डपार्टीअसेसमेंटकरायाजानासुनिश्चितकियागयाहै।

iii. कौशलविकाससमितियोंकीबैठकः-

आक्षेपमेंकौशलविकासकेन्द्रोंकीप्रगतिकीसमीक्षाहेतुजिलाकलेक्टरकेअधीनजिलास्तरपर स्थापितकौशलविकाससमितियोंकीप्रतिमाहहोनेवालीबैठकोंकीकमसंख्याएवंबैठकमेंलिएगएनिर्णयोंवसिफारिशोंकीअनुवर्तीकार्यवाहीकेसंबंधमेंआक्षेपमेंटिप्पणीकीगईहै।इससंबंधमेंउल्लेखनीयहैकिनिगममेंपरियोजनाप्रबंधएवंसलाहकारसेवायेंप्राप्तकरनेहेतुनिविदाजारीकीजातीहैतथाचयनितनिविदाकारकेनिर्धारितरिसोर्सद्वाराजिलाकार्यालयोंकासंचालनकियाजाताहै।इसदिशामेंकार्यवाहीकरतेहुए**मुख्यमंत्रीद्वारा** '**स्वाधीनतादिवस**' **केमौके**परयहघोषणाकीगईहैकिजिलारोजगारअधिकारीको**जिलाकौशलएवंव्यावसायिक**

अधिकारी(District Skill & Vocational Training Officer) बनायाजावेगा(**प्रति जिसका समिति ने अवलोकन किया**)।जिलारोजगारअधिकारीराज्यसेवाकेअधिकारीहै,जोजिलाकलेक्टरकीअध्यक्षतावा लीकौशलसमितिकीबैठकोंकाआयोजनकरापानेमेंप्रभावीहोंगे।साथहीइनबैठकोंमेंनिर्णय/सु झावोंकानिगममुख्यालयस्तरपरपरीक्षणकरउनपरकार्यवाही/अमललानेकीप्रणालीविकसि तकीजारहीहै।अतःइसआक्षेपकीभावनाकेअनुसारअनुवर्तीकार्यवाहीकीजासकेगी।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

(i) प्रेषित उत्तर अनुसार 35 प्रतिशत से कम नियोजन के 251 बैचों एवं 35 से 50 प्रतिशत नियोजन के 365 बैचों के प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही कर पूर्ण विवरण का समावेश अंतिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

(ii) प्रेषित उत्तर अनुसार **CNN-ELSTP2017-18** में प्रत्येक बैच की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता प्रमाण-पत्र मय नियोजन जमा कराये जाने की अधिकतम सीमा **210** दिन रखी गई है। यह सीमा क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के न्यूनतम संख्या में नियोजन को सुनिश्चित किये जाने के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को नहीं दर्शाता है**?** वस्तु स्थिति से अंतिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iii) आक्षेपानुसार वर्ष 2014-17 के दौरान 2689 गैर प्रदर्शनकारी बैचों (133 प्रशिक्षण प्रदाताओं के संबंधित) में 50 प्रतिशत से कम नियोजन होने के बावजूद केवल 40प्रशिक्षण प्रदाताओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई**,** के सन्दर्भ में पूर्ण विवरण सहित उत्तर अपेक्षित है।

(iv) आक्षेपानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा करवाये जाने की अद्यतन स्थिति एवं प्रमाणों सहित विस्तृत विवरण का समावेश अपेक्षित है।

(v) आक्षेपानुसार एवं प्रेषित उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए कौशल विकास समितियों की प्रत्येक माह बैठकों के आयोजन एवं इन बैठकों में लिये गये निर्णयों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था विकसित की जाकर अद्यतन प्रगति का विवरण अन्तिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

<u>संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम उत्तर (दिनांक 20.12.2019) में विभाग ने बताया कि</u>

(i) 35 से 50 प्रतिशतनियोजनकेबैचोंमेंप्रोरेटाआधारपरनियोजनकाभुगतानकरतेहुएआदेशदिनांक 6 अप्रैल 2018 कीपालनामेंकार्यवाहीसुनिश्चितकीजारहीहै।

(ii) नियोजनजमाकराएजानेकीअधिकतमसीमा 210 दिनभारतसरकारकेकॉमननोर्म्सकीपालनामेंहै।इसकापूर्वमेंप्रावधानित 5 माहकीसीमासेकोईसम्बन्धनहींहै।

(iii) आदेशदिनांक 6 अप्रैल 2018 केद्वाराइनप्रशिक्षणप्रदाताओंकोभीनियोजनसम्बन्धीदस्तावेजजमाकरानेकाअवसरप्रदानकियागयाहै।इसआदेशकीपालनामेंआक्षेपअन्तर्गतप्रशिक्षणप्रदाताओंकेदस्तावेजभीविवेचनाधीन हैं।अन्तिमपरिणामप्राप्तहोनेपरसूचितकिया जाएगा।

(iv) वर्तमानमेंभारतसरकारकेकॉमननोर्म्सकेमापदंडानुसारस्वतंत्रतृतीयपक्षकामूल्यांकनयोजना कीगाईडलाईनकाअभिन्नअंगहै,

अतःप्रत्येकबैचकास्वतंत्रतृतीयपक्षमूल्यांकनअनिवार्यतःकियाजारहाहै।**गाईडलाईनकीप्रति का समिति ने अवलोकन किया।**येअसेसमेन्टसेक्टरस्किलकाउन्सिल, एन.सी.वी.टी., आर.सी.वी.टी.

अथवाआरएसएलडीसीद्वारास्वीकृतथर्डपार्टीकेमाध्यमसेकरवाएजानेथे।निगमद्वाराइसअवधिमेंएम.ई.एस.

केप्रशिक्षणकार्यक्रमसंचालितथे।सेक्टरस्किलकाउन्सिलकेस्तरपरइनप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेजॉबरोलएवंकोर्सकरिकुलमउससमयतैयारनहींथे।एन.सी.वी.टी.

स्तरपरराज्यप्रवर्तितकौशलविकासयोजनाओंकाअसेसमेन्टकरनाप्रावधितनहींथा।ऐसीस्थितिमेंनिगमनेहीदेशमेंपहलीबारपहलकरतेहुएअपनेस्तरपरसेक्टरस्किलकॉन्सिलोंकेसाथएम.ओ.यू.

करतेहुएनिगमकीईएलएसटीपीयोजनान्तर्गतसंचालितप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकोकाउन्सिल्समेंमैपकरवायाएवंइनप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेजॉबरोलएवंकोर्सकरिकुलमविकसितकरवाए।निगमकेऐसेहीनवाचारोंनेनिगमकेकौशलविकासकार्यक्रमकोदेशमेंसर्वाधिकचर्चितकियाएवंनिगमकोलगातारचारवर्षोंतकसर्वश्रेष्ठकौशलविकासकार्यक्रमसंचालनकरनेवालेराज्यकेरुपमेंसम्मानित कियागया।

(v) आक्षेपकीअनुपालनामेंप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेप्रभावीअनुसरणकेलियेसुव्यवस्थितढांचातैयारकियाजानाप्रगतिपरहै, अन्तिमपरिणामअवगतकरादियाजाएगा।

दिनांक 10.01.2020 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से किये गये विचार-विमर्श का शब्दश: विवरण निम्नानुसार है:-

समिति ने जानकारी चाही कि जो अनुच्छेद संख्या 3.10.5 है- अनुक्रमण और मूल्यांकन। इसमें जो चार्ट है, उसमें देखें तो उसमें जीरो परसेंट प्लेसमेंट हुआ। टोटल ट्रेंड हुए 15,313 और प्लेसमेंट हुआ जीरो। दूसरी बात है, below 35 परसेंट। इसमें 251 ट्रेनिंग हुईं। उसमें 7,011 बच्चे थे। इनमें से 25.33 परसेंट का प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद 35 से लेकर 50 तक 365 ट्रेनिंग्स हुईं, जिनमें 10,126 बच्चे बैठे और 4,392 का प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब यह है कि जो टोटल आपकी ट्रेंनिंग हुई हैं, उसमें से 1,194 तो ऐसी हुई हैं, जिनका प्लेसमेंट 50 परसेंट से भी कम है। उसके बाद भी इनका जो पेमेंट है, वह हो गया।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि नहीं सर, जो 35 परसेंट से नीचे वाला होता है, उसको तो नहीं होता। 35 से 50 परसेंट के बीच के बच्चों को प्रो-रेटा आधार पर भुगतान होता है।

समिति का प्रश्न था कि इसमें जो लिखा है 35 प्रतिशत से कम के सम्बन्ध में कार्रवाई का पूर्ण विवरण अभी तक नहीं आया है इनके पास।

आयुक्तने उत्तर में बताया कि सर, इन योजनाओं में 2014 से लेकर 2017 के मध्य प्लेसमेंट वाला 20 प्रतिशत का जो रेशो था, उसमें 932 मामलों में भुगतान किया गया है, शेष में नहीं। 356 में कम्प्लीट करके रिवार्ड कर दिया गया है। भुगतान जीरो किया गया है। अनियमितता पाये जाने पर 219 में वसूली की गयी है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, जो तालिका-6 है, जो प्लेसमेंट परसेंटेज आपने 4,680 का कहा है...

प्रधान महालेखाकार का मत था कि जो ट्रेनिंग 50 परसेंट से कम हुआ है, हमने उन सारों को ग्रेड किया है। जो नम्बर ऑफ बैचेज कम्प्लीटेड हैं, उसमें हमने कहा है कि

प्लेसमेंट नहीं हुआ। जीरो प्लेसमेंट हुआ है। 35 परसेंट से नीचे जो हैं, उसमें तो पहले ही 80 प्रतिशत की पेमेंट ले गये। उसके अगेंस्ट आपका कोई मैकेनिज्म है क्या? उनके केस में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग दी है और किसी तरह का कोई रोजगार नहीं दिया है। जीरो इम्प्लॉयमेंट।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, हमारी एक स्कीम है, जिसमें हमने कहा कि अगर आप इतने बच्चों को ट्रेंड करते हैं तो आपको इतने प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। अगर आप बच्चों का असैसमेंट करा लेंगे तो हम आपका इतने का भुगतान करा देंगे और यदि आपने इतने प्रतिशत बच्चों को प्लेस कर दिया तो हम आपको इतने रुपये का भुगतान करा देंगे। सर, मान लें मैंने सड़क बनानी शुरू कर दी और वह अपनी नियत जगह तक नहीं बनी तो निश्चित ही वह यूज की नहीं है, लेकिन चूंकि सड़क के बीच में मैंने टारगेट फिक्स कर दिये, यानी ट्रेनिंग को ही अपना माइल स्टोन बना दिया तो जिस आदमी ने अपना सैंटर खोलकर ट्रेनिंग करा दी तो हमें उस प्रपोर्शन में उसे भुगतान करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के बाद वह बच्चा अपना रोजगार भी कर सकता है और दूसरी कोई नौकरी भी कर सकता है।

असैसमेंट की वैल्यू इसलिये है सर, क्योंकि उसके बाद उस पर भारत सरकार से प्राप्त ट्रेनिंग का ठप्पा लग गया कि तीन महीने की उसने ट्रेनिंग प्राप्त करके 80 परसेंट नम्बर लिये हैं। इसका उसे सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि पूरे भारत में वैलिड है। ट्रेनिंग एक माइल स्टोन है, असैसमेंट एक माइल स्टोन है। मान लीजिए अगर किसी ने 2 माइल स्टोन अचीव कर लिये, अगर उसने दस किलोमीटर की जगह आठ किलोमीटर की सड़क बनायी है, तो उसके लिये प्रपोर्शनेट पेमेंट होगा।

समिति का प्रश्न था कि हमारे इस रिकॉर्ड से तो यह मिलता है कि उन्होंने अपना 40 परसेंट पेमेंट ले लिया, केवल 20 परसेंट पेमेंट इसलिये रुका, क्योंकि उसका वैरिफिकेशन नहीं हुआ। बिना वैरिफिकेशन के लास्ट किश्त तभी मिलती है, जब उसका पूरा सत्यापन प्रमाणित हो जाता है। 20 परसेंट तो उसने छोड़ दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, हमने यह परसेंटेज चेंज कर दिया है। अब 40:40:20 नहीं है। भारत सरकार की गाईडलाईंस के अनुसार जीकेवाई में हम अपने स्टेट के अनुसार रख सकते हैं।

समिति का प्रश्न था कि अभी तो इस पैरा का क्या होगा, यह बताएं। जिन्हें पेमेंट नहीं करना था, उन्हें आपने पेमेंट कर दिये, उनका क्या करें।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, यह इश्यु इसलिये नहीं है, क्योंकि पेमेंट ट्रेनिंग कम्प्लीशन पर हुआ है।

समिति का प्रश्न था कि चलिये, उसे भी मान लिया। हमने चार्ट के आधार पर कभी डिस्कशन नहीं किया। 4,000 में से 1500-1600 ट्रेनिंग्स ऐसी हुई हैं, जिनमें प्लेसमेंट 0 से 35 तक हुआ है। इसका मतलब ये सभी उस दायरे में आ गये। इन्होंने जो पैसा उठाया, वास्तव में वे उतना पैसा उठाने के योग्य थे भी या नहीं? जिनके रिकॉर्ड से लगा कि ये तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, क्या आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? उनके खिलाफ कोई तो एक्शन लेना होगा, वरना तो इन 1600 ट्रेनिंग्स का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा किया है, ऐसों के खिलाफ तो आप केस दर्ज कराएं।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, मैं 2014-15, 2015-16 के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन 2016-17 के बाद से तो पेमेंट ही नहीं हुए हैं।

समिति का प्रश्न था कि आपने कितनी ट्रेनिंग्स का कितना-कितना पेमेंट किया है, वह तो आपका रिकॉर्ड बोलेगा। जिन्होंने बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा किया है, उन्हें तो टारगेट करना पड़ेगा। अब तक आपने ऐसी कितनी संस्थाओं को टारगेट किया है और कितनी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया है?

आयुक्तने उत्तर में बताया कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है सर। कॉरपोरेशन में हम लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि काफी ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे हैं जो काफी नॉन जेनुइन है। आपका कंसर्न बिल्कुल जेनुइन है। यह पूरी लिस्ट है 2016 से 2017 के बीच की।

(पत्रावली दिखाई गई जिसका समिति ने अवलोकन किया)

समिति का प्रश्न था कि हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कितनी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की या जिन्हें आपने अपने सिस्टम से ही बाहर कर दिया?

आयुक्तने उत्तर में बताया कि सर, जो नॉन भुगतान वाले मैंने आपको बताए, उनमें से 80 परसेंट मामलों में प्लेसमेंट का शून्य भुगतान किया गया।

समिति का प्रश्न था कि टोटल संस्थाएं जो हैं, वे 300 से अधिक हैं। राजस्थान में जो स्किल की ट्रेनिंग कराती हैं, उनमें से 71 को ही आपने बाहर किया, जबकि आपके जवाब से ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं की संख्या इससे भी ज्यादा है।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं। 2014-15, 2016-17, 71 संस्थाएं हैं। एक संस्था के पास दो से लेकर दस तक जिले हो सकते हैं और एक जिले में उसके पास एक से ज्यादा सब-सैंटर हो सकते हैं और एक सैंटर पर दो से तीन बैच होते हैं, तो ऐसे में 71 संस्थाओं के पास काफी संख्या में बच्चे हो सकते हैं।

समिति का प्रश्न था कि71 तो ऐसी हैं, जिनमें कुछ भी नहीं हुआ, इसलिये कर दिया।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि सर, मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहूंगा। मैं बारां गया। जब मैं वहां से आ रहा था तो मैंने वहां एक बोर्ड देखा और मैं वहां चला गया। मैंने वहां देखा कि ट्रेनिंग की क्वालिटी बहुत खराब थी, जो इंग्लिश पढ़ा रहा था, उसकी खुद की इंग्लिश बहुत खराब थी। मैंने नोट बनाकर एम.डी. को भेजा कि ऐसी संस्थाओं का क्या करना है। उसमें जवाब यह आया कि ज्यादा जवाब डालेंगे तो पेमेंट काट देते हैं, जीरो कर देते हैं।

आयुक्त ने उत्तर में बताया कि मैंने कहा कि बाकी तो अच्छा है लेकिन इंग्लिश वाले का काट सकते है और 25 प्रतिशत कार्टेंगे।

समिति का मत था कि मैंने तो प्रारम्भ किया तभी कहा था कि अच्छी स्कीम है, आगे भी चलनी चाहिए जिससे लोगों को जॉब मिले लेकिन ए.जी. ने जिन बिन्दुओं का इशारा किया है उन पर एक्शन करके सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में गलती नहीं हो। इसलिए उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। हमारी कमेटी की यह मान्यता है

कि अच्छा प्रोग्राम है और निश्चित रूप से लोगों को जॉब मिलेगा। जरूरी नहीं कि नौकरी मिलेगी लेकिन स्वयं का काम करने के योग्य बन जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरी कमेटी के मेम्बर के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले लेकिन वह इतना परफैक्ट बन जाए कि वह स्वयं का काम करने के योग्य बन जाए और जो स्कीम डवलप की उसका कोई मेकेनिज्म बन जाए और अलग-अलग इंस्टीट्यूशन काम को करे। कोशिश यह होनी चाहिए कि अच्छी स्कीम आगे बढ़नी चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो और वह ट्रेड सलेक्ट करे जिससे वह आगे स्वयं के पैरों पर खड़ा हो जाए। नौकरी मिले या नहीं मिले पर इतना योग्य अवश्य बनाना है कि वह भविष्य में इसके आधार पर परिवार का पालन पोषण कर सके। इसमें जो समय का राइडर है उसमें वह ट्रेंड नहीं हो सकता है इसलिए ट्रेडवाइज समय बढ़ाना भी चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेनिंग करायें उसके लिए जो भी आपके पास अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दें कि वे जाकर वहां चैकिंग करें कि ये संस्थाएं वहां चल रही है या नहीं, चल रही हैं और सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसकी आप महीने में एक बार रिपोर्ट भेज दिया करे कि वास्तव में वहां कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह एक अच्छा काम है जो आगे लोगों को जॉब देने में सक्षम हो सकता है। अगर कुछ कमियां हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें ताकि भविष्य में गड़बड़ी नहीं करें।

समिति का मत था कि सरकार की मन्शा बहुत अच्छी है कि लोगों को ट्रेंड करें जिससे उनको रोजगार मिले लेकिन इस योजना के साथ जन-प्रतिनिधियों को नहीं जोड़ा हुआ है और उनको छोड़ रखा है। हर जगह एमएलए, एमपी, प्रधान, जिला प्रमुख है पर उन जन-प्रतिनिधियों से दूरी क्यों बना रखी है?

समिति का आगे मत था कि कम से कम उनको यह तो जानकारी हो कि अपने एरिया में कहां-कहां ट्रेनिंग किस चीज की चल रही है इसलिए उनको इन्वाल्व तो करें। उस एरिया का जो प्रधान है, सरपंच है और अगर उस सरपंच के एरिया में वह संस्था है तो वह बता तो सकता है कि वह चल रही है या नहीं चल रही है, उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जरूरी नहीं कि वह शिकायत करे और आप मान लें, आप टीम भेजकर वैरिफाई तो करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा सुझाव है। इसके अलावा जो भी आपका नियरेस्ट अधिकारी है उसको कोई न कोई

सेंटर देकर के जांच कराइये। आप कह दो कि वैरिफाई कराकर सूचना भेज दें कि सेंटर कैसा चल रहा है। जो गड़बड़ करने वाले हैं वे स्कीम को लपकते हैं और स्कीम लपकने वाले ही लाभ ले जाते हैं।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि जन-प्रतिनिधियों का आगे पैरा में भी है। जिलों में कौशल विकास समिति बनी हुई है उसका अध्यक्ष कलेक्टर है और उसमें जन-प्रतिनिधि भी हैं। इसमें आगे पैरा बना हुआ है कि कौशल विकास समिति की बैठक नहीं होती तो हमने कहा है कि एक कलेण्डर बनाया हुआ है और उसके बाद हम इसकी मीटिंग करवा पाये हैं। दूसरा जो चौपाल लगाने का है उसमें यह कौशल विकास योजना की बात करने का हमने हमारे अधिकारियों को भी बोल रखा है।

समिति का प्रश्न था कि जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी वहां के एमएलए, प्रधान को लिस्ट मिल जाए जिससे वे चैक कर सकें और कोई कमी-खामी है तो अवगत करा सकें।

समिति का मत था कि इससे यह भी फायदा होगा कि उन जन-प्रतिनिधियों के पास जो युवा आते हैं उनको वे मोटिवेट करके वहां सेंटर में भेज सकते हैं।

साथ ही यह भी आवश्यकता है कि उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार सेंटर में ट्रेनिंग करायें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस क्षेत्र की आवश्यकता तो कुछ है और ट्रेनिंग किसी दूसरी चीज की करा रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा और उससे उस क्षेत्र को भी लाभ नहीं मिलेगा। अब आजकल कम्प्यूटर की हर आदमी की जिन्दगी में आवश्यकता हो गई है और जिसको थोड़ा बहुत आता है वह कहीं भी बैठकर 10-15 हजार रुपये कमा सकता है। इसलिए कुछ ऐसे ट्रेड है जैसे बिजली का काम है, प्लम्बर का काम है, इनकी हर जगह आवश्यकता रहती है।

जो-जो भी हैं उनकी कॉपी एमएलएज को भी चली जाए तो ठीक रहेगा।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि इसमें पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और विधायकों को भी शामिल करेंगे।

समिति का मत था कि जिस एरिया में भी सेंटर चल रहे हैं वहां के प्रधान और एमएलए अगर उसमें होता है तो उससे मदद ही मिलेगी।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि एक तो ट्रेनिंग का नम्बर अचीव करना और दूसरा काम ईमानदारी से करें तो दोनों के बीच में जंग है।

समिति का मत था कि हमारा कहना तो यही है कि उसको इस योग्य बना दिया जाए कि वह अपना काम चलाने लायक बन जाए, वह रोजगार के लायक बन जाए।

शासन सचिवने उत्तर में बताया कि जब मीटिंग हुई थी तब भी सभी ने यह कहा कि ईमानदारी से करेंगे तो कुछ नियम बदलने होंगे।

समिति का अभिमत

समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार इंगित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, विभाग द्वारा इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करएवं व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यवाही कर की गई कार्यवाही केपूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों की टीमें गठित की जाएं एवं निकटतम पदस्थापित अधिकारियों से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर एवं तदनुसार सुधारात्मक उपाय कर इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों के विस्तृत विवरण से तथा मुख्यमंत्री की स्वाधीनता दिवस की घोषणा के पश्चात् जिला स्तर पर कौशल विकास समिति की बैठकों के अद्यतन विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि 578 बैचों जिनमें कोई नियोजन नहीं दिया गया, 35 प्रतिशत से कम नियोजन के 251 बैचों एवं 35 से 50 प्रतिशत नियोजन के 365 बैचों के प्रकरणों में विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही कर की गई कार्यवाही एवं वसूली के पूर्ण अद्यतनविवरण से शीघ्रसमिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि साक्ष्य के दौरान शासन सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जन-प्रतिनिधियों से जोड़े जाने हेतु की गई विभागीय कार्यवाही के पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि वर्तमान में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन स्वतंत्र तृतीय पक्ष से करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों के पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए कौशल विकास समितियों की प्रत्येक माह बैठकों के आयोजन एवं इन बैठकों में लिए गए निर्णयों/सिफ़ारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था विकसित किये जाने की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।

3.10.6 निष्कर्ष

राजस्थान की जनसंख्या में 25 वर्ष से कम की युवा आबादी 55 प्रतिशत है, औरइसलिये युवाओं को लगातार रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिये महत्वपूर्णप्रमुखता है क्योंकि राज्य में 33 लाख युवा बेरोजगार हैं।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविकाविकास निगम को प्रमुख अभिकरण के रूप में नामित किया गया था, जो2014-17 के दौरान तीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल 48.90 प्रतिशत लक्ष्यप्राप्त कर सका।

पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों (निर्माण, वस्त्र, स्वास्थ्य, ऑटो मैकेनिक वइंजीनियरिंग, बैंकिंग व वित्तीय सेवायें एवं आईटी आदि) में केवल 55.74 प्रतिशतप्रशिक्षण ही आयोजित किये गये थे।

आरएसएलडीसी कुल प्रशिक्षित युवाओं में से केवल 35.58 प्रतिशत नियोजन प्रदानकरने में सक्षम रहा और केवल 37.45 प्रतिशत नियोजन ही वास्तविक थे।

इस प्रकार, समग्र रूप से कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी को नियंत्रितकरने एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकनको सुनिश्चित करने की तुरन्त आवश्यकता है ताकि राजस्थान में बेरोजगारी कीसमस्या को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जा सके।

विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 03.12.2018) में बताया किआक्षेपकाआधारमुख्यतःकौशलप्रशिक्षणकार्यक्रमोंमेंनिर्धारितनियोजनकास्तरप्राप्तनकरनेपर अवलंबितहै।जैसाकिविवेचितउत्तरकीतालिका-5मेंवर्णितकियागयाहैकिनिगमसंबंधितयोजनामेंनिर्धारितन्यूनतमनियोजनस्तरकोप्राप्तकरनेमें सफलरहाहै। अतःआक्षेपकेतथ्योंकीअनुपालनाहोगईहै।

निगमकोदेशमेंराज्यकौशलविकासकेक्षेत्रमेंनवाचारोंकेलियेजानाजाताहै।देशभरमेंराष्ट्रीयस्तरपरराज्योंमेंसंचालितयोजनाओंमेंप्रावधानितनियमोंएवंशर्तोंकीपालनाकरातेहुए, निगमनेअपनीराज्यप्रवर्तितयोजनाईएलएसटीपीमेंकौशलविकासकेन्द्रोंकीगुणवत्ता, कार्यक्रमकीनिगरानी, प्रशिक्षणउपरान्तरोजगारसम्बन्धितदस्तावेजोंकोप्राप्तकरना, **'आधार'** परआधारितरियलटाइमबायोमेट्रिकउपस्थितिप्रणाली(AEBAS)जैसेबहुआयामोंकोशामिलकिया जोकिअपनेआपमेंअनूठाएवंसुधारात्मकप्रयासरहाहै।

देशमेंराजस्थानकौशलआजीविकाएवंविकासनिगमसंभवतःएकमात्रनिकायहैजिसकाकार्यक्षेत्रजिलास्तरतकविस्तृतहैएवंअपनीजिलास्तरीयटीमकीमददसेजिला/स्थानीयस्तरपरसंचालितकौशल विकासकेन्द्रोंपरनिगरानीकेसाथ-साथतकनीकीसहयोगभीसुनिश्चितकरताहै।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षणों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास कर अद्यतन प्रगति से अवगत कराना अपेक्षित है।

<u>संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम उत्तर (दिनांक 20.12.2019) में विभाग ने बताया कि</u>

आक्षेपकीअनुपालनामेंप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेप्रभावीअनुसरणकेलियेसुव्यवस्थितढांचातैयारकियाजानाप्रगतिपरहै, अन्तिमपरिणामअवगतकरादियाजाएगा।

यहांप्रस्तुतहैकिराजस्थानकौशलएवंआजीविकाविकासनिगमनेप्रशिक्षणकार्यक्रमोंसेसम्बन्धितसमस्तपत्रावलियोंकीजांचएवंअंकेक्षणकेलियेयोजनाकेप्रारंभसेहीलेखापरीक्षाविभाग/एजीकेसेवानिवृत्तअधिकारियोंकीसेवाएंलीहै,
जिससेकियोजनाओंकेक्रियान्वयनमेंनिहितउद्देश्योंकीप्राप्तिगुणवत्तापूर्वकसुनिश्चितकीजासके।

राजस्थानराज्यकौशलविकासकेक्षेत्रमेंनवाचारोंकेलियेजानाजाताहै।देशभरमेंकौशलविकाससेसम्बन्धितवर्तमानसमस्तदेशव्यापीयोजनाएंराज्यकेईएलएसटीपीयोजनाकीसीखसेहीतैयारकीगईहैं।

देशभरमेंराष्ट्रीयस्तरपरराज्योंमेंसंचालितयोजनाओंमेंप्रावधितनियमोंएवंशर्तोंसेउपरउठतेहुए, निगमनेअपनीराज्यप्रवर्तितयोजनाईएलएसटीपीमेंकौशलविकासकेन्द्रोंकीगुणवत्ता,
कार्यक्रमकीनिगरानी,
प्रशिक्षणउपरान्तरोजगारसम्बन्धितदस्तावेजोंकासैम्पलआधारितएवंआवश्यक्तानुसारफिजीकल वेरीफिकेशन,
ऑनलाईनबायोमेट्रिकउपस्थितिजैसेबहुआयामोंकोशामिलकियाजोकिअपनेआपमेंअनूठाएवंसुधारात्मकप्रयासरहाहै।

देशमेंराजस्थानकौशलविकासनिगमएकमात्रहैजोकिअपनाकार्यक्षेत्रजिलास्तरतकरखताहैएवंअपनीजिलास्तरीयटीमकीमददसेजिला/स्थानीयस्तरपरसंचालितकौशलविकासकेन्द्रोंपरनिगरानीकेसाथ-साथतकनीकीसहयोगभीसुनिश्चितकरताहै।

राजस्थानकौशलएवंआजीविकाविकासनिगमनेप्रशिक्षणकार्यक्रमोंकेबेहतरप्रबंधन,
निगरानी,
सूचनाउपलब्धताएवंतकनीकीसहयोगकेलियेसूचनाएवंतकनीकीविभाग,राजस्थानकेसहयोगसेस्वंयकाइन्टीग्रेटेडमैनेजमेन्टइन्फोरमेशनसिस्टमस्थापितकियाहै।अनुभवकेआधारपरइसीमेंसुधारकरतेहुएसबसेपहलेआगेबढ़तेहुएनिगमने'आधार'आधारितबायोमेट्रिकउपस्थितिप्रक्रियाकोराज्यभरमेंलागूहुए

जिससेकिस्थानीय/कौशलविकासकेन्द्रस्तरपरहोनेवालीगड़बड़ियोंकीसंभावनाओंकोटालाजासके।

जिलेमेंकौशलविकासकार्यक्रमकेसफलएवंसार्थकसंचालनमेंस्थानीयप्रशासनकीभागीदारीकोसु निश्चितकरनेकेलियेराज्यसरकारद्वारासभीजिलोंमेंजिलास्तरीयकौशलएवंआजीविकाविकाससमितियोंकागठनजिलाकलेक्टरकीअध्यक्षतामेंकियागया।राज्यसरकारएवंनिगमकायहनवाचारकौशलविकासकेक्षेत्रमेंएकअनूठाप्रयासहै।इसप्रयासनेकौशलविकासकोजिलास्तरीयसरोकारोंमेंशामिलकरायाएवंजिलाप्रशासनकाकौशलविकासकाआमुखीकरणकरतेहुएजिलेमेंसकारात्मकवसहयोगात्मकवातावरणउपलब्धकरानेकेलियेलामबन्दकिया।जिलोंमेंअबतकइनजिलास्तरीयसमितियोंकी 700
सेअधिकबैठकेंसंचालितकीगईहैंजोकियद्यपिअपेक्षितएवंनिर्देशितसंख्यासेकमहैतथापिजिलोंमेंअपनेउद्देश्यप्राप्तकरनेमेंसफलहुईहैं।

निगमकीराज्यप्रवर्तितयोजनाईएलएसटीपी,
राज्यकीसबसेबड़ीकौशलविकासयोजनाहै,जिसनेराज्यकेहरवर्गहरक्षेत्रकेबेरोजगारयुवायुवतियोंको जोकि 18 से 35 वर्षकीआयुकेथेएवंकिन्हींकारणोंसेअपनीअकादमिकशिक्षाकोनिरन्तरनहींरखपाएथे, कोयोजनाकेअन्तर्गतसंचालितरोजगारपरककौशलविकासकार्यक्रमसेजुड़करलाभान्वितहोनेकाअवसरप्रदानकिया।हतोत्साहितयुवावर्गकोअपनेभविष्यनिर्माणकेलियेअवसरप्रदानकियाहै।

<u>समिति का अभिमत</u>

<u>समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षणों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हेतुएक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास कर की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों की अद्यतन प्रगति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।</u>

विधानसभा भवन, **(गुलाब चन्द कटारिया)**
जयपुर । **सभापति**
दिनांक: **जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20**

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>सिफ़ारिशों का सार</u>

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	अनुच्छेद संख्या	विवरण
1.	14		3.10.2	**समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार आरएसटीपी एवं ईएलएसटीपी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीएसईई द्वारा लक्ष्य तय किये जाने के बावजूद आरएसएलडीसी द्वारा कार्यान्वित नहीं किये जाने के औचित्य/कारणों एवं इन लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्राप्त परिणामों की अद्यतन प्रगति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
2.	15		3.10.2	**समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार वर्ष 2014-17 के लिए डीडीयू-जीकेवाई हेतु आवंटित लक्ष्य 1.00 लाख के समक्ष केवल 69,731 प्रशिक्षण हेतु ही स्वीकृतियां जारी हुई है जिनमें से केवल 32,418 प्रशिक्षण ही आयोजित किये जाने के औचित्य/कारणों एवं आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
3.	15		3.10.2	**समिति सिफ़ारिश करती है कि निगम स्तर पर राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में प्राप्त अनुभवों के आधार पर नियमित रूप से कार्यप्रणाली एवं योजना में सुधार किए जाने की कार्यवाही कर, प्राप्त अनुभवों एवं सुधार की कार्यवाही के विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
4.	15		3.10.2	**समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना अंतर्गत 1,12,350 को प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रदान करने की निर्धारित**

				अवधि एवं इसके समक्ष प्राप्ति व नियोजन की अद्यतन स्थिति तथासाथ ही 70 प्रतिशत नियोजन प्रदान करने के प्रावधान के समक्ष केवल 51.46 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित करने के संबंध में निगम द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदाताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही के पूर्ण विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
5.	25		3.10.3	**समिति सिफ़ारिश करती है कि विभागीय परीक्षण के दौरान विभाग द्वारा वर्णित फिजीकल वेरिफिकेशन हेतु संशोधित व्यवस्था को लागू कर उसके प्रमुख बिंदुओं, उसके क्रियान्वयन तथा प्राप्त परिणामों के अद्यतन विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
6.	25		3.10.3	**समिति सिफ़ारिश करती है कि NSDC और IMACS द्वारा राजस्थान में कौशल विकास हेतु 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान किये जाने के बावजूद भी निगम द्वारा इन क्षेत्रों में केवल55.74 प्रतिशतप्रशिक्षण दिये जाने के औचित्य/कारणों एवं अब प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कार्यवाही कर की गई कार्यवाही के पूर्ण अद्यतन विवरण से प्राप्त परिणामों सहित शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
7.	25-26		3.10.3	**समिति सिफ़ारिश करती है कि आरएसटीपी एवं ईएलएसटीपी कार्यक्रमों में प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यधिक कम आयोजित करवाया जाना एवं विभाग द्वारा प्रशिक्षणों के चयन से पूर्व अपने स्तर पर संभावित रोजगार के क्षेत्रों के लिए कोई सर्वे/अध्ययन भी नहीं किया जाना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है, जिसके लिए उत्तरदायी**

				अधिकारियों को चिन्हित कर एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर तथा ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत कराया जाये।
8.	38-39		3.10.4	**समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार ईएलएसटीपी के दिशा-निर्देशों का विभाग द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। अतः इस विभागीय विफलता के लिए दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
9.	39		3.10.4	**समिति सिफ़ारिश करती है कि विभागीय परीक्षण के दौरान विभाग द्वारा वर्णित तथ्य कि उन प्रशिक्षण प्रदाताओं, जिन्होंने मात्र प्रशिक्षण कराया एवं नियोजन देने में विफल रहे,के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, के परिपेक्ष्य में ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं के पूर्ण विवरण तथा उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अद्यतन पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
10.	39		3.10.4	**समिति सिफ़ारिश करती है कि नियोजन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन किये जाने पर जिन प्रकरणों में वास्तविक रूप से नियोजन सत्यापित होना नहीं पाया गया, उनमें विभाग/निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता के विरुद्ध कार्यवाही कर की गई कार्यवाही के पूर्ण अद्यतन विस्तृत विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
11.	39		3.10.4	**समिति सिफ़ारिश करती है कि वर्ष 2014-17 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वाराआयोजितकुल बैचों में से 20 प्रतिशत की तीसरी किश्त का भुगतान प्राप्त न करने अथवा विभाग द्वारा नहीं किए जाने के प्रकरणों के पूर्ण विवरण एवं इनमें**

				उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन प्रगति के विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
12.	53		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि आक्षेपानुसार इंगित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, विभाग द्वारा इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर एवं व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यवाही कर की गई कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।**
13.	53		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों की टीमें गठित की जाएं एवं निकटतम पदस्थापित अधिकारियों से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर एवं तदनुसार सुधारात्मक उपाय कर इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों के विस्तृत विवरण से तथा मुख्यमंत्री की स्वाधीनता दिवस की घोषणा के पश्चात् जिला स्तर पर कौशल विकास समिति की बैठकों के अद्यतन विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।**
14.	53		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि 578 बैचों जिनमें कोई नियोजन नहीं दिया गया, 35 प्रतिशत से कम नियोजन के 251 बैचों एवं 35 से 50 प्रतिशत नियोजन के 365 बैचों के प्रकरणों में विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही कर की गई कार्यवाही एवं वसूली के पूर्ण अद्यतनविवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।**
15.	53-54		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि साक्ष्य के दौरान शासन सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जन-प्रतिनिधियों से जोड़े जाने हेतु की गई विभागीय कार्यवाही के पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान**

				महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।
16.	54		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि वर्तमान में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन स्वतंत्र तृतीय पक्ष से करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों के पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**
17.	54		3.10.5	**समिति सिफ़ारिश करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए कौशल विकास समितियों की प्रत्येक माह बैठकों के आयोजन एवं इन बैठकों में लिए गए निर्णयों/सिफ़ारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था विकसित किये जाने की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालयको अवगत कराया जाये।**
18.	57		3.10.6	**समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षणों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास कर की गई कार्यवाही एवं प्राप्त परिणामों की अद्यतन प्रगति से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।**